राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(2020-2021)

कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(2020-2021)

कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1–1
2	विभागीय संरचना	1–6
3	औद्योगिक सम्बन्ध	7–12
4	बाल श्रम	13–16
5	बंधक श्रम मुक्ति एवं पुनर्वास	17–17
6	महिला श्रम	18–18
7	सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण	19–27
8	मजदूरी	28–69
9	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण	70–73
10	अर्द्ध न्यायिक कार्य	74–75
11	शासकीय कार्य	76–77
12	श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन	78–90
13	श्रम सांख्यिकी	91–102
14	बजट एवं विभागीय आय	103–103
15	विभागीय वेब पोर्टल–लेबर डिपार्टमेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम (एल.डी.एम.एस.) एवं निःशुल्क हेल्पलाईन सेवा–"लेबर लाईन"	104–110
16	महत्वपूर्ण परिपत्र एवं अधिसूचनाऐं	111–122

1. प्रस्तावना

प्रस्तावना :

श्रम विभाग का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों व उद्योगों/नियोजकों के मध्य स्वस्थ एवं सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखकर उत्पादन के उच्च स्तर को बनाये रखना तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन के द्वारा श्रमिकों के वेतन भत्तों के भुगतान को सुनिश्चित करना एवं उनकी सेवा तथा नियोजन की शर्तो के अनुसार उनके हितों का संरक्षण करना हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय कार्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुये श्रमिक हित में नीतिगत निर्णय लिऐ जाते हैं।

2. विभागीय संरचना

श्रम आयुक्त, राज्य में विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। विभाग के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ एंव प्रभावशाली बनाने के लिए सभी कार्यालयों को 7 सम्भागीय कार्यालयों के अधीन रखा गया हैं। संभागीय एंव क्षेत्रीय अधिकारी अपने अधीन क्षेत्र में कार्यों के नियंत्रण संबंधी दायित्व निर्वहन के लिए अधिकृत हैं। श्रम विभाग के मुख्यालय, सम्भागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना निम्नानुसार हैं :–

- संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय संभाग मुख्यालय – अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर एवं भरतपुर में स्थापित हैं।
- उप श्रम आयुक्त कार्यालय – अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, श्रीगंगानगर एवं पाली मे स्थापित हैं।
- सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय – बांसवाड़ा, नागौर, सवाईमाधोपुर, बालोतरा, सीकर, व टोंक मे स्थापित हैं।
- श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय – बारां, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, राजसमंद व ब्यावर में कार्यरत हैं।

श्रम विभाग की संरचना (मुख्यालय स्तर)

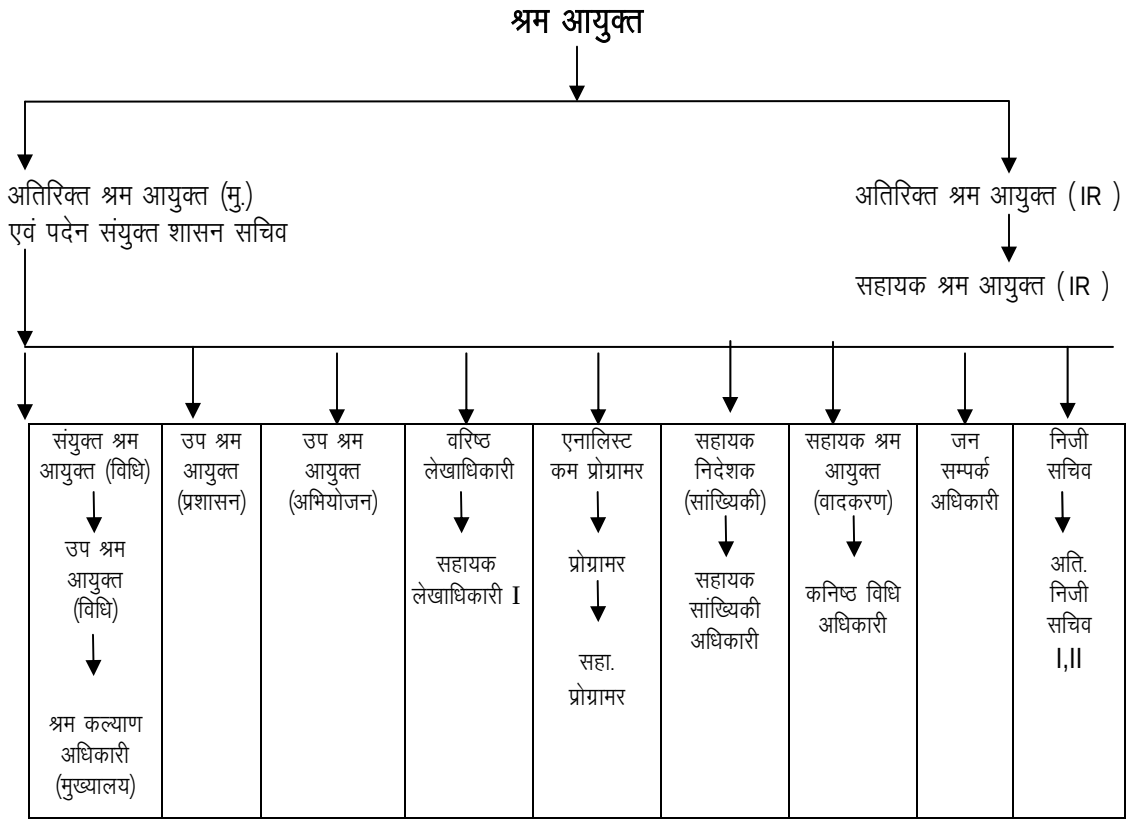

विभाग के अन्तर्गत ''**राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल**'' स्थापित हैं, जिसकी संरचना निम्न प्रकार हैं:–

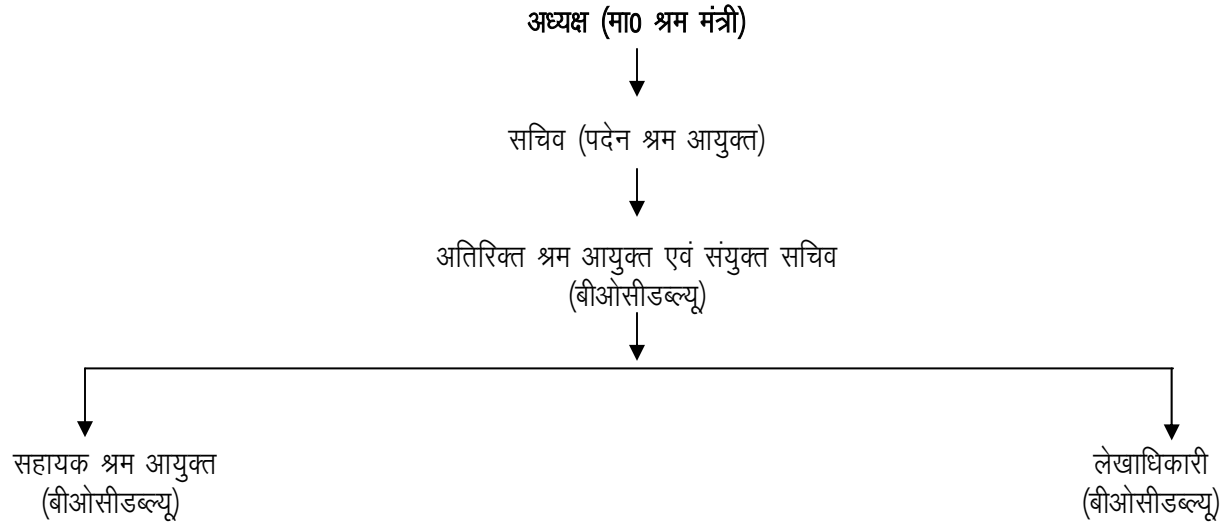

प्रदेश में स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों का संभागवार विवरण

क्र.सं	संभाग का नाम	कार्यालय
1.	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर
2.	कोटा	कोटा, झालावाड, बूंदी, बारां
3.	जोधपुर	जोधपुर, सिरोही, पाली, जालौर, जैसलमेर, बालोतरा (बाडमेर)
4.	उदयपुर	उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ
5.	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर
6.	बीकानेर	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमागढ़
7.	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली

प्रदेश में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय

क्रं.सं.	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय	क्रं.सं	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय
1.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	अजमेर	19.	श्रम कल्याण अधिकारी	सिरोही
2.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	बीकानेर	20.	श्रम कल्याण अधिकारी	ब्यावर, उपखण्ड
3.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	जयपुर	21.	श्रम कल्याण अधिकारी	बारां
4.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	जोधपुर	22.	श्रम कल्याण अधिकारी	बूंदी
5.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	कोटा	23.	श्रम कल्याण अधिकारी	चूरू
6.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	उदयपुर	24.	श्रम कल्याण अधिकारी	दौसा
7.	सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	भरतपुर	25.	श्रम कल्याण अधिकारी	धौलपुर
8.	उप श्रम आयुक्त	अलवर	26.	श्रम कल्याण अधिकारी	डूंगरपुर
9.	उप श्रम आयुक्त	भीलवाड़ा	27.	श्रम कल्याण अधिकारी	हनुमानगढ़
10.	उप श्रम आयुक्त	चित्तौड़गढ़	28.	श्रम कल्याण अधिकारी	जालौर
11.	उप श्रम आयुक्त	श्रीगंगानगर	29.	श्रम कल्याण अधिकारी	झालावाड़
12.	उप श्रम आयुक्त	पाली	30.	श्रम कल्याण अधिकारी	झुंझुनू
13.	सहायक श्रम आयुक्त	बांसवाड़ा	31.	श्रम कल्याण अधिकारी	राजसमन्द
14.	सहायक श्रम आयुक्त	नागौर	32.	श्रम कल्याण अधिकारी	प्रतापगढ़
15.	सहायक श्रम आयुक्त	सवाईमाधोपुर	33.	श्रम कल्याण अधिकारी	करौली
16.	सहायक श्रम आयुक्त	सीकर	34.	श्रम कल्याण अधिकारी	जैसलमेर
17.	सहायक श्रम आयुक्त	बालोतरा			
18.	सहायक श्रम आयुक्त	टोंक			

अन्य विभागों में स्वीकृत पदों का विवरण

विभाग का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर	संयुक्त श्रम आयुक्त (मुख्य कार्मिक अधिकारी)	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर	उप श्रम आयुक्त	1
सा0 नि0 विभाग, जयपुर	उप श्रम आयुक्त	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर	सहायक श्रम आयुक्त	2
वन विभाग, जयपुर	सहायक श्रम आयुक्त	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, कोटा	सहायक श्रम आयुक्त	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, जोधपुर	सहायक श्रम आयुक्त	2
जन स्वा0 अभि0 विभाग, उदयपुर	सहायक श्रम आयुक्त	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, अजमेर	सहायक श्रम आयुक्त	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, बीकानेर	सहायक श्रम आयुक्त	1
ई0गा0न0प0, बीकानेर	सहायक श्रम आयुक्त	1
जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सा0 नि0 विभाग, जयपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	2
सा0 नि0 विभाग, कोटा	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सा0 नि0 विभाग, जोधपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सा0 नि0 विभाग, उदयपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सा0 नि0 विभाग, अजमेर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सा0 नि0 विभाग, बीकानेर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
ई0गा0न0प0, बीकानेर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सा0 नि0 विभाग, उद्यान विज्ञ, जयपुर	श्रम निरीक्षक	1
सा0 नि0 विभाग, अलवर	श्रम निरीक्षक	1
सा0 नि0 विभाग, बांसवाडा	श्रम निरीक्षक	1
सा0 नि0 विभाग, भीलवाड़ा	श्रम निरीक्षक	1
सा0 नि0 विभाग, सवाईमाधोपुर	श्रम निरीक्षक	1
सा0 नि0 विभाग, (यांत्रिक), जयपुर	श्रम निरीक्षक	1
सा0 नि0 विभाग, पाली	श्रम निरीक्षक	1

श्रम विभाग में स्वीकृत पदों का विवरण (31 दिसम्बर, 2020)

परिशिष्ट–1

क्रं.सं.	पद का नाम	मुख्यालय	बीओसीडब्लू	अजमेर	अलवर	बांसवाडा	बालोतरा	बारां	भरतपुर	भीलवाडा	बीकानेर	बून्दी	चित्तोडगढ़	प्रतापगढ़	चूरू	दौसा	धौलपुर	डूंगरपुर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	जयपुर	जैसलमेर	जालौर	झालावाड	झुझुनु	जोधपुर	करोली	कोटा	नागौर	पाली	राजसमन्द	स.माधोपुर	सीकर	सिरोही	टोंक	उदयपुर	ब्यावर	योग
1.	श्रम आयुक्त	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
2.	अति. श्रम आयुक्त	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	8
4.	उप श्रम आयुक्त	3	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13
5.	सहायक श्रम आयुक्त	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	13
6.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	23
7.	सहायक निदेशक (सां.)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8.	मुख्य लेखाधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
9.	लेखाधिकारी(बीओसीडब्ल्यू)	0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
10.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11.	प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
12.	सहायक प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
13.	सहायक लेखाधिकारी–I	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
14.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
15.	निजी सचिव	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
16.	सहा0लेखाधिकारी–II	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	9
17.	कनिष्ठ लेखाकार	4	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	16
18.	सहा0 सांख्यिकी अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
20.	श्रम निरीक्षक	3	2	7	12	3	4	3	7	7	7	3	4	3	3	3	3	3	5	3	20	3	3	3	3	12	3	10	4	5	3	3	5	3	4	10	2	181
21.	क0विधि अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22.	संगणक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
23.	सूचना सहायक	6	–	3	3	2	–	1	2	1	3	1	1	2	2	1	1	2	2	1	3	–	–	1	1	3	–	3	2	–	–	–	2	1	1	3	1	55
24.	प्रशासनिक अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
25.	अति0 प्रशा0 अधिकारी	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
26.	सहा0 प्रशा0 अधिकारी	8	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	22
27.	अति. निजी सचिव	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
28.	निजी सहायक	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
29.	स्टेनो ग्रेड–II	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8
30.	वरिष्ठ सहायक	10	1	1	2	1	1	1	2	1	1	–	1	–	1	1	–	1	2	–	3	–	1	1	–	2	–	2	1	1	1	1	1	–	1	2	1	45
31.	कनिष्ठ सहायक	11	2	2	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	6	1	1	1	1	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3	1	68
32.	वाहन चालक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
33.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21	2	3	2	4	1	1	4	4	2	2	3	–	1	2	2	2	3	–	9	–	–	1	1	1	–	5	2	1	2	3	2	1	2	3	2	94
	योग	97	11	21	27	13	9	8	21	19	21	8	13	7	9	9	8	10	18	7	52	5	6	8	7	29	5	30	12	12	8	11	13	8	11	26	8	587

श्रम विभाग के अधीन स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31 दिसम्बर, 2020)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	श्रम आयुक्त	1	1	0
2.	अति. श्रम आयुक्त	3	2	1
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	9	7	2
4.	उप श्रम आयुक्त	15	1	14
5.	सहायक श्रम आयुक्त	23	0	23
6.	श्रम कल्याण अधिकारी	32	17	15
7.	सहायक निदेशक (सां.)	1	1	0
8.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
9.	लेखाधिकारी(बीओसीडब्ल्यू)	1	1	0
10.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
11.	प्रोग्रामर	1	1	0
12.	सहायक लेखाधिकारी– I	1	1	0
13.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	0	1
14.	निजी सचिव	1	1	0
15.	अति. निजी सचिव	2	2	0
16.	सहा0लेखाधिकारी–II	9	6	3
17.	कनिष्ठ लेखाकार	16 (15+1 BOCW)	11	5
18.	सहा0 सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0
20.	श्रम निरीक्षक	188(186+2 BOCW)	96	92
21.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0
22.	कनि0 विधि अधिकारी	1	1	0
23.	संगणक	4	2	2
24.	सूचना सहायक	55	45	10
25.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
26.	अति.प्र0 अधिकारी	6	2	4
27.	सहा0 प्र0 अधिकारी	22	13	9
28.	निजी सहायक	2	1	1
29.	स्टेनो ग्रेड–II	8	6	2
30.	वरिष्ठ सहायक	45 (44+1 BOCW)	30 (30+0 BOCW)	15 (14+1 BOCW) (05 पद आरक्षित लिफाफे बन्द)
31.	कनिष्ठ सहायक	68 (66+2 BOCW)	59 (57+2 BOCW)	9 (9+0 BOCW)
32.	वाहन चालक	1	1	0
33.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	94 (92+2 BOCW)	44 (44+0 BOCW)	50 (48+2 BOCW)
योग		**616**	**357**	**259**

3. औद्योगिक संबंध

औद्योगिक उत्पादन मुख्यतया औद्योगिक शान्ति पर निर्भर करता हैं। प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य मधुर संबंध बनाये रखने के लिए तीसरे पक्ष के रूप में अहम भूमिका का निवर्हन श्रम विभाग द्वारा किया जाता हैं।

औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख कार्य

- राज्य क्षेत्र में औद्योगिक विवादों को उत्पन्न होने से रोकना एवं उनका निस्तारण करना।
- केन्द्रीय एंव राज्य सरकार द्वारा बनाये गये श्रम कानूनों और नियमों को लागू करना।
- ट्रेड यूनियनों का पंजीयन/निरस्तीकरण करना।
- राज्य में औद्योगिक संबंधो का पर्यवेक्षण करना।
- औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और समझौता करवाना।
- समझौते और अवार्ड लागू करवाना।
- कार्यबंदी, छंटनी, अनुचित श्रम व्यवहार आदि से संबधित मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।
- वर्क्स कमेटियों का गठन करवाना।
- स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण।

3.1 औद्योगिक विवादों को रोकना एवं उनका निस्तारण

श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक से लेकर श्रम आयुक्त स्तर तक सभी अधिकारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। किसी भी औद्योगिक संस्थान में श्रमिकों एंव नियोजको के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर अथवा विवाद उत्पन्न होने की आशंका की स्थिति में क्षेत्र में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा विवाद के संबंध में समझौता अधिकारी के रूप में मध्यस्थ की भूमिका का निवर्हन करते हुये दोनों पक्षों के मध्य समझौता वार्ता के माध्यम से विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जाता हैं। जिन विवादों में समझौता सम्पन्न हो जाता हैं, उन्हे नियमानुसार पंजीकृत कर लिया जाता हैं और जिन विवादों में कोई समझौता नहीं हो पाता हैं उनमें वार्ता असफल घोषित कर असफल वार्ता प्रतिवेदन राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाता हैं। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक परीक्षण के बाद,

उचित पाये जाने पर विवाद को न्याय निर्णय के लिए श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित कर दिया जाता हैं। यदि राज्य सरकार उचित नहीं पाती हैं तो विवाद को न्याय निर्णयार्थ प्रेषित नहीं करने का निर्णय लेकर पक्षकारों को सूचित कर दिया जाता हैं।

3.2 औद्योगिक शिकायतें एवं विवाद

औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की मजदूरी, भत्ते, बोनस, छुट्टी, छंटनी, या अन्य कारणों से शिकायतें एवं विवाद उत्पन्न होते हैं। इन शिकायतो अथवा विवादों को प्रारम्भिक अवस्था में ही विभागीय अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही के द्वारा निस्तारित करने का प्रयास किया जाता हैं। इसके लिए उनके द्वारा वार्ता/समझौता कार्यवाही आयोजित की जाती हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निस्तारित की गई शिकायतें एवं विवाद

क्र.सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त हुए	योग	निस्तारित				अंत में शेष
					समझौता	बंद	विवाद में स्थानांतरित	योग	
1	2017–18	794	1244	2038	149	366	679	1194	844
शिकायतें	2018–19	844	1011	1855	62	377	778	1217	638
	2019–20	638	1250	1888	95	1047	182	1324	564
	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	564	1475	2039	183	826	155	1164	875

क्र.सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त हुए	योग	निस्तारित			अंत में शेष
					समझौता सम्पन्न	असफल वार्ता प्रतिवेदन	योग	
2	2017–18	178	361	539	95	290	385	154
विवाद	2018–19	154	377	531	158	254	412	119
	2019–20	119	182	301	61	220	281	20
	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	20	155	175	26	116	142	33

3.3 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत गठित वर्क्स कमेटियां

राज्य में 50 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले औद्योगिक संस्थानों में वर्क्स कमेटियों के गठन का प्रावधान हैं। वर्क्स कमेटी के अंतर्गत नियोजक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव संस्थान में कार्यरत श्रम संगठनों के सहयोग एवं उनकी भागीदारी से किया जाता हैं। कमेटी का मुख्य कार्य नियोजक एवं श्रमिकों के मध्य संबंधों को सौहार्द्रपूर्ण बनाये रखना होता हैं। इसके अलावा कमेटी आपसी मामलों के संबंध में भी विचार विमर्श कर समस्या का समाधान करती हैं। राज्य में वर्क्स कमेटियों के गठन का विवरण निम्नानुसार हैं :–

वर्क्स कमेटी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिष्ठानों की संख्या, जिनमें वर्क्स कमेटियां बनाना आवश्यक हैं ।	गत वर्ष के अन्त में कार्यरत वर्क्स कमेटियों की संख्या	वर्ष में गठित वर्क्स कमेटियों की संख्या	वर्क्स कमेटियों की संख्या जिन्होंने कार्य करना बन्द कर दिया	वर्ष के अन्त में कार्यरत वर्क्स कमेटियों की संख्या
1.	अजमेर	6	3	–	–	3
2.	अलवर	79	79	–	–	79
3.	बांसवाड़ा	5	5	–	–	5
4.	भरतपुर	1	1	–	–	1
5.	भीलवाड़ा	78	38	3	–	41
6.	बीकानेर	4	3	–	–	3
7.	चित्तौड़गढ़	9	9	–	–	9
8.	जयपुर	36	21	–	–	21
9.	जोधपुर	36	25	–	–	25
10.	कोटा	7	5	–	–	5
11.	नागौर	3	3	–	–	3
12.	पाली	19	6	–	–	6
13.	श्रीगंगानगर	10	4	–	–	4
14.	हनुमानगढ़	1	1	–	–	1
15.	सीकर	2	2	–	–	2
16.	सिरोही	7	3	–	–	3
17.	टोंक	2	2	–	–	2
18	उदयपुर	30	16	–	–	16
19	झालावाड	2	1	1	–	2
20	बारां	4	3	–	–	3
21	बूंदी	2	2	–	–	2
22	राजसमन्द	1	1	–	–	1
23	डूंगरपुर	2	2	–	–	2
24	झुन्झुनुं	1	–	1	–	1
25	ब्यावर	1	–	1	–	1
योग		**348**	**235**	**6**	**–**	**241**

3.4 हड़ताल, तालाबंदी व ले–ऑफ

श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए प्रबन्धक एवं श्रमिकों के मध्य उत्पन्न विवादों को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सुलझाने तथा औद्योगिक क्षेत्र मे हड़ताल, तालाबंदी तथा ले–ऑफ की उत्पन्न स्थितियों को समाप्त करवाने का प्रयास किया जाता हैं।

प्रदेश में हड़ताल, तालाबंदी एंव ले–ऑफ का विवरण

वर्ष	हड़ताल			तालाबंदी			ले–ऑफ		
	संख्या	प्रभावित श्रमिक	मानव दिवसों की हानि	संख्या	प्रभावित श्रमिक	मानव दिवसों की हानि	संख्या	प्रभावित श्रमिक	मानव दिवसों की हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017–18	1	800	36000	–	–	–	–	–	–
2018–19	1	462	924	–	–	–	–	–	–
2019–20	2	675	2625	–	–	–	–	–	–
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

3.5 श्रम संगठनों का पंजीयन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के तहत श्रम संगठनों के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता हैं। अधिनियम के तहत अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) को सम्पूर्ण राज्य के लिए श्रमिकों एवं नियोजकों के संघों को पंजीयन करने के लिए पंजीयक नियुक्त किया गया हैं। इसके अतिरिक्त संभागों मे नियुक्त सभी संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्तों को उनके संभाग के लिए अतिरिक्त पंजीयक नियुक्त किया गया हैं।

वर्ष	पंजीकृत	सदस्य संख्या
1	2	3
2017–18	125	16970
2018–19	88	9886
2019–20	74	12872
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	27	3157

3.6 औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946

श्रमिकों एवं प्रतिष्ठानों के नियेाजकों व प्रबन्धको के मध्य सेवा शर्तों के नियमन के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 बना हुआ हैं। यह अधिनियम प्रदेश में 50 या 50 से अधिक श्रमिक

नियोजित करने वाले सभी संस्थानों तथा 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले संस्थानों पर लागू हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0), अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) एवं मुख्यालय में पदस्थापित संयुक्त श्रम आयुक्त प्रमाणितकर्ता अधिकारी नियुक्त हैं।

संबंधित संस्थानों के नियोजकों को इस अधिनियम की अनुसूची मे दिये गये 'मॉडल स्टेण्डिंग ऑर्डर' के अनुरूप ड्राफ्ट स्थाई आदेश प्रमाणितकर्ता अधिकारी को प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होते हैं। प्रमाणीकरण के बाद उक्त प्रमाणीकृत स्थाई आदेश उस संस्थान में नियोजित श्रमिकों की सेवाशर्तो मे परिणीत हो जाते हैं।

वर्ष	स्थाई आदेशों का प्रमाणीकरण
1	2
2017	21
2018	38
2019	29
2020 (माह दिसम्बर 2020 तक)	28

3.7 विविध कार्य

विभाग द्वारा निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन किया जाता हैः–

1. श्रमिक कल्याण एवं श्रम कानूनों की पालना हेतु विभिन्न सलाहकार मण्डलों/समितियों की बैठकों का आयोजन
2. न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का निर्धारण
4. मंहगाई सूचकांक का निर्धारण/प्रकाशन
5. औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत ले–ऑफ, छंटनी एंव क्लोजर की स्वीकृति जारी करवाना।
6. हडताल/तालाबंदी को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से विशेष आदेश जारी करना।
7. प्राप्त शिकायतों की छानबीन करना व निराकरण की कार्यवाही करना।
8. एक मई को मई दिवस के आयोजन में सहयोगः–श्रम जगत में मई दिवस का एक विशेष महत्व हैं। इसे सारे संसार में श्रमिकों द्वारा बडे धूम–धाम से मनाया जाता हैं। राज्य मे भी श्रमिकों द्वारा मई दिवस पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं। राज्य सरकार श्रमिकों के लिए उक्त दिवस को संवैतनिक अवकाश घोषित करने के लिए नियोजकों से अपील जारी करती हैं।

3.8 श्रम विभाग के अंतर्गत गठित एवं कार्यरत बोर्ड एवं समितियां

श्रम विभाग में विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने एवं श्रम अधिनियमों की क्रियान्विति के लिए समुचित विचार विमर्श हेतु निम्नलिखित सलाहकार मण्डल/समितियां गठित हैं:–

बोर्ड/समिति का नाम		अध्यक्षता
1.	राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल	श्रम मंत्री
2.	स्थाई श्रम समिति	श्रम मंत्री
3.	राजस्थान ठेका श्रम सलाहकार मण्डल	श्रम मंत्री
4.	राज्य स्तरीय समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति	श्रम मंत्री
5.	राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन
6.	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड अंतर्गत भविष्य निधि अधि0 (केन्द्र सरकार के स्तर पर)	केन्द्रीय श्रम मंत्री
7.	क्षेत्रीय समिति, कर्मचारी भविष्य निधि राजस्थान	श्रम सचिव
8.	क्षेत्रीय परिषद अंतर्गत राज्य कर्मचारी बीमा निगम	श्रम मंत्री
9.	राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना मानिटरिंग कमेटी	श्रम सचिव
10.	राज्य स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति	मुख्य सचिव
11.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत सलाहकार समिति	शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन
12.	मणिसाना एवं मजीठिया वेज बोर्ड के संबंध में राज्य स्तरीय समिति	श्रम मंत्री
13.	भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान	श्रम मंत्री
14.	राजस्थान राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल	श्रम मंत्री

4. बाल श्रम

- बाल श्रम एक अपराध है और सामाजिक बुराई भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का कारखानों, खदानों तथा खतरनाक नियोजनों में नियोजन प्रतिबन्धित किया हुआ है। बाल श्रम कई प्रकार के व्यवसायों में पाया जाता है जिसमें जोखिमपूर्ण और गैर जोखिमपूर्ण दोनों प्रकार के व्यवसाय आते हैं।
- बाल श्रम की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम, 2016) अधिसूचित किया गया एवं इस अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य द्वारा दिनांक 07.03.2019 को ''राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) (संशोधन) नियम, 2018'' अधिसूचित किये गये।
- उक्त अधिनियम के तहत बाल श्रमिक वह बालक/बालिका है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा किसी भी प्रकार के संस्थान यथा–कारखाना, खदान, बागान, मोटर यातायात दुकान, होटल, ढाबा, वर्कशॉप आदि में कार्यरत हो तथा कुमार श्रमिक वह व्यक्ति है जो 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग का व्यक्ति जो अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित व्यवसाय/प्रक्रियाओं में कार्यरत है।
- 14 वर्ष तक की आयु वर्ग का कोई भी बच्चा अब किसी प्रकार के व्यवसाय या प्रक्रिया में काम नहीं कर सकता है।
- अधिनियम के तहत अधिसूचित जोखिम पूर्ण व्यवसायों में 14 से 18 वर्ष तक के कुमारों का नियोजन प्रतिबंधित है।
- संशोधित अधिनियम के तहत कोई भी बालक अथवा बालिका अपने परिवार के जिसमें मॉ–बाप, भाई–बहिन, बुआ, ताउ, मौसी एवं मामा के पारिवारिक उद्योग में काम कर सकते है बशर्ते की वह जौखिमपूर्ण नहीं हो तथा उस कार्य से उसकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे।
- मनोरंजन के साधनों यथा विज्ञापन, अभिनय, गायन, खेल, फिल्म एवं टेलीविजन में काम करने की छूट है परन्तु कोई भी बालक अथवा कुमार सर्कस में काम नहीं कर सकता।
- बाल श्रम की रोकथाम केवल एक विभाग दायित्व न होकर कई विभागों का संयुक्त दायित्व है। यथा– जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय, बाल अधिकारिता, पुलिस, श्रम विभाग इत्यादि। चूंकि यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है। ऐसे में इसके निवारण व उत्सादन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग समय–समय पर कार्यवाही करते हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों के दायित्वों को स्पष्ट करते हुए दिनांक 21.08.2012 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत

पुनर्वासित किया जाता है। यह मानक संचालन प्रक्रिया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गयी है जिसके तहत श्रम विभाग, पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा जिला प्रशासन की भूमिका स्पष्ट की गयी है।

- बाल श्रम नियोजित करना एक संज्ञेय अपराध है। बाल श्रम नियोजित करने पर नियोजक को 20,000/– से 50,000/– रूपये का अर्थदण्ड (जुर्माना) तथा दो वर्ष तक की सजा अथवा दोनों आरोपित की जा सकती है।
- कहीं भी बाल श्रमिक पाये जाने पर निकटतम पुलिस स्टेशन, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 अथवा PENCIL PORTAL (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) पर सूचना दी जा सकती है।
- विभाग के आदेश क्रमांक 16803 दिनांक 24.10.2017 के माध्यम से ''बाल एवं कुमार श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित नियम, 2016 के तहत प्रवर्तन एवं ''पेंसिल पोर्टल'' के प्रयोजनार्थ जिले के श्रम निरीक्षक को ''नोडल अधिकारी '' नामित किया गया। तत्पश्चात् आदेश क्रमांक 19172 दिनांक 22.09.2020 के माध्यम से उक्त नोडल अधिकारियों का पुनर्गठन किया गया।
- बाल श्रम से संबंधित किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर जिलों में स्थित बाल कल्याण समिति द्वारा तत्काल कार्यवही कर पुलिस विभाग, प्रशासन, श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहयोग से कार्यरत बाल श्रमिक को मुक्त कराया जाता है एवं इसको पुनर्वास किया जाता है।
- मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के नियोजक के विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।
- इसके साथ ही जिला श्रम अधिकारियों द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में दिनांक 10.12.1996 को दिये गये निर्णय के अनुसार नियोजक से बतौर मुआवजा 20,000/– वसूली का नोटिस दिया जाता है। नियोजक द्वारा जमा नहीं कराने पर उक्त राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में जिला कलक्टर के माध्यम से वसूल करवायी जाती है। इस संबंध में वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय तथा राजकीय अधिवक्ता की राय के अनुसार नियोजक के दोषी सिद्ध नहीं होने तक यह राशि वसूल नहीं की जा सकती है।
- राज्य के सभी जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बाल श्रम टास्कफोर्स गठित है जिसमें श्रम विभाग, पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, रेल्वे, महिला एवं बाल

विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, मानव तस्कर विरोधी विभाग, बाल कल्याण समितियां एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्य सम्मिलित है। जिले में श्रम विभाग का वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत है।

- बाल कल्याण समिति को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है जिसे किसी भी संस्थान में प्रवेश, छानबीन तथा जप्ती के अधिकार दिये हुए हैं। बाल कल्याण समिति के गठन व सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक विभाग बाल अधिकारिता निदेशालय है।
- श्रम विभाग के निरीक्षक मुक्त कराये गये बाल श्रमिक के बयान दर्ज कर उनके नियोजकों के विरूद्ध बकाया वेतन, ओवर टाईम एवं साप्ताहिक अवकाशों की देय राशि के संबंध में प्राधिकारी न्यायालय में क्लेम दायर कर उनके बकाया वेतन आदि का भुगतान करने की कार्यवाही करते हैं।
- बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम हेतु अभियोजन पुलिस विभाग द्वारा ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015'' एवं ''राजस्थान ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011''के अन्तर्गत अभियोजन प्रस्तुत किया जाता है तथा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारायें भी जोडी जाती है। प्राथमिकी बाल कल्याण अधिकारी द्वारा दर्ज करायी जाती है।
- मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पौषित ''राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना'' संचालित है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संस्था का पंजीकरण सोसायटीज एक्ट, 1958 के अन्तर्गत होता है। परियोजना के अध्यक्ष जिला कलक्टर होते है तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों यथा श्रम विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों के अधिकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इस परियोजना के सदस्य होते है। श्रम विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव एवं परियोजना निदेशक होता है।
- राज्य के 27 जिलों यथा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, टोंक, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, नागौर, झालावाड़, भरतपुर, जालौर, चित्तौड़गढ़ बून्दी, झुन्झुनू, धौलपुर, बांसवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, सीकर, बीकानेर, बारां, कोटा, दौसा, हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्वीकृत है तथा 6 जिलों यथा–करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, राजसमन्द, प्रतापगढ़ एवं सिरोही में बाल श्रम परियोजना संस्था स्वीकृत नहीं है।
- वर्तमान में 3 जिलों यथा– भीलवाडा, बांसवाडा तथा अलवर जिले में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालित हैं जिनके तहत कुल 50 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में 1339 बालक/बालिकायें प्रशिक्षण ले रहे हैं।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य स्तर पर श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य बाल श्रम संदर्भ संस्था का गठन कर सोसायटीज एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 30.06.2018 को पंजीकृत करवा लिया गया है।
- विभाग के आदेश क्रमांक 20355 दिनांक 07.10.2020 के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के ''मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम–मॉनिटर पोर्टल'' पर बाल व बंधक श्रम संबंधी सूचना संग्रहण हेतु राज्य व जिलों के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये।
- विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 01.07.2020 के माध्यम से कोविड–19 महामारी के दौरान अनलॉक अवधि में बाल श्रमिकों के अन्य राज्यों से आवागमन की रोकथाम सुनिश्चित करने की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निम्न को सूचित किया गया :–
    - राजस्थान राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स।
    - महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली।
    - शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार।
    - शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, पश्चिम बंगाल।
    - शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, ओडिशा।
- विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 27.08.2020 के माध्यम से राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स को कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के बयान आदि प्रक्रिया को वर्चुअल माध्यम से सम्पादित करने, समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करने आदि निर्देश प्रदान किए गये।

5. बंधक श्रम मुक्ति एवं पुनर्वास

- राज्य में बन्धक श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्य पूर्व में विशिष्ठ योजना संगठन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता था। अप्रैल, 2002 में उक्त कार्य एवं दायित्व श्रम विभाग को हस्तान्तरित किया गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार बन्धुआ श्रम उन्मूलन के उद्देश्य से स्टेट एक्शन प्लान तैयार कर राज्य के सभी जिला कलक्टरों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया हुआ है।
- राज्य के सभी जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एवं उपखण्डों में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बन्धक श्रमिक सतर्कता समितियां गठित हैं जिनकी नियमित बैठकें आयोजित हो रही है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा बन्धक श्रम की सतत निगरानी की जाती है। इसी क्रम में 29 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार से समन्वय कर, बन्धक श्रम चिन्हिकरण, मुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें जिला कलक्टरों, उपखण्ड अधिकारियों, श्रम विभाग के अधिकारियों, मानव तस्करी यूनिट के अधिकारियों, रिसर्च स्कॉलर तथा गैर सरकारी संगठनों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें संवेदनशील किया गया।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.05.2016 से ''केन्द्रीय क्षेत्र बन्धक श्रमिक पुनर्वास योजना, 2016'' लागू की गयी है जो कि शत प्रतिशत केन्द्र सरकार से वित्त पोषित है।
- उक्त योजना के तहत बन्धक श्रम से मुक्त कराये गये प्रत्येक श्रमिक को 20,000/–रूपये तात्कालिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती है।
- ''केन्द्रीय क्षेत्र बन्धक श्रमिक पुनर्वास योजना, 2016'' में अवमुक्त कराये गये बन्धक श्रमिक को देय पुनर्वास सहायता राशि 20,000/– से बढाकर 1,00,000/– कर दी गयी है। यदि अवमुक्त बन्धक श्रमिक बच्चा है तो यह राशि 2,00,000/–है और यदि बन्धक श्रम से कोई महिला/ट्रांसजेण्डर या बच्चे अवमुक्त कराये गये हैं और उनका यौन शोषण हुआ है, तो राशि 3,00,000/–तक बढा दी गयी है।
- ''केन्द्रीय क्षेत्र बन्धक श्रमिक पुनर्वास योजना, 2016'' के अन्तर्गत उपर्युक्त पुनर्वास सहायता सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल में नियोजक को दोषी सिद्ध किये जाने के उपरान्त ही वितरित की जायेगी।

————

6. महिला श्रम

महिला श्रमिकों की उनके कार्यस्थल पर बेहतर कार्य दशाएं सुनिशिचित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं जैसे–

- कार्यस्थलों पर यौन शोषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना।
- औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेशो) में किये गये संशोधन की क्रियान्विति करना।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से महिला प्रधान एवं महिला सरपंच को समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के तहत निरीक्षक के अधिकार प्रदान करना, आदि।
- राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 की धारा 3(2) के तहत 5 या 5 से अधिक नियोजित कर्मचारी वाले पंजीकृत संस्थानों में महिला कर्मचारियों को रात्रिकाल में नियोजित करने हेतु धारा–22 के प्रावधानों से शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान की गई है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा–6 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति का गठन किया गया हैं।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961

- यह अधिनियम 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले लगभग सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों, कारखानों, बागान आदि में कार्यरत महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ दिलाने के लिए निर्मित किया गया हैं।
- अधिनियम के तहत पात्र महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में मिलने वाली राशि के अतिरिक्त शिशु जन्म पर प्रसूति हितलाभ 26 सप्ताह की अवधि के लिए वेतन सहित अवकाश भी मिलता हैं। गर्भपात एवं टयूबैक्टोमी आपरेशन की स्थिति में भी यह सुविधा प्राप्त हो सकती हैं। अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों को शिशु के पोषण के लिए कार्य अवधि में अतिरिक्त विश्राम देने का भी प्रावधान हैं। विभाग के श्रम निरीक्षकों को अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त किया गया हैं।

7. सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रम अधिनियम बनाये गये हैं :–

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
2. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
3. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
5. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
6. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन व सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996
7. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एव कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का प्रशासन व प्रवर्तन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता हैं जबकि शेष अधिनियमों का प्रवर्तन राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा अपने–अपने कार्य क्षेत्र में किया जाता हैं।

उक्त अधिनियमों के साथ–साथ भारत सरकार के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा हैं। वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार की निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :–

- बीडी निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा आवास योजनाएं
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (नियोजन व सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई कल्याणकारी योजनाएं
- असंगठित श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) तथा NPS-Traders योजना

असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे उद्योग धन्धों से हैं जो प्रमुख रूप से दूरदराज क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं और जिनमें कार्य करने वाले अधिकतर श्रमिक विभिन्न श्रम अधिनियमों के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे उद्योग धन्धे, शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पाये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि, बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, तेंदू पत्ता संग्रह एवं अन्य वानिकी उद्योग आते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से भवन निर्माण, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान, लघु उद्योग, ट्रांसपोर्ट आदि व्यवसाय आते हैं।

राज्य में असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि, भवन निर्माण, बीड़ी उद्योग, ईंट भट्टा तथा खनन उद्योग आते हैं।

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संस्थान की 1999–2000 की रिपोर्ट से विदित होता हैं कि देश में लगभग 37 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनमें से अकेले कृषि में लगभग 24 करोड़ तथा सेवा क्षेत्र, जिसमें भवन निर्माण भी सम्मिलित हैं, में 9 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं।

चूंकि ये श्रमिक संगठित नहीं हैं इसलिए न तो इन्हे श्रम अधिनियमों के तहत देय लाभ प्राप्त हो पाते हैं और न ही उनमें सामूहिक सौदेबाजी की सामर्थ्य होती हैं इसलिए वे अपनी सेवा शर्तों, वेतन भत्तों, कार्य की दशाओं एवं सामाजिक सुरक्षा के लाभों से लगभग वंचित रहते हैं।

7.1 सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान

भारत वर्ष में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कई श्रम कानून बने हुए हैं जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर भी लागू होते हैं। इनमें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986, बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 अधिनियम प्रमुख हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा (श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत कल्याण आयुक्त द्वारा) कुछ कल्याण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये योजनाएं मुख्य रूप से बीड़ी श्रमिकों तथा चूना– डोलोमाईट एवं लोह व अन्य अयस्क खनन श्रमिकों से संबंधित हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को वृद्धावस्था पेन्शन, परिवार पेन्शन, मातृत्व हितलाभ, आवास, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं।

राजस्थान में बीड़ी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग हैं। प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले 143 संस्थान हैं, जिनमें इनमें कुल 10424 बीड़ी श्रमिक कार्यरत हैं।

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम लागू किया गया। जिसके अन्तर्गत बीड़ी कारखानों से केन्द्र सरकार द्वारा बीड़ी निर्माण पर उपकर वसूल किया जाता हैं जो इस निधि में जमा होता हैं।

इस कल्याण निधि से वर्तमान में श्रम कल्याण संगठन, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं :–

1. सामाजिक सुरक्षा योजना (आम आदमी बीमा योजना)
2. शिक्षा संबंधी योजना
3. आवास संबंधी योजना
4. मनोरंजन संबंधी योजनाएं

7.2 एनपीएस–स्वावलम्बन योजना

एनपीएस–लाईट असंगठित क्षेत्र के अल्प आय के व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का सरलीकृत रूप हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित किया जाता हैं।

सदस्यों के खातों का विवरण संधारित करने के लिए नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को सेन्ट्रल एजेंसी (सीआरए) नियुक्त किया गया हैं। अंशदान राशि का हस्तान्तरण ट्रस्टी बैंक (वर्तमान में एक्सिस बैंक) को करने का प्रावधान हैं तथा अंशदान राशि के निवेश हेतु पेंशन फण्ड मैनेजर्स पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किये गये हैं। योजना का क्रियान्वयन करने हेतु पीएफआरडीए द्वारा एग्रीगेटर नियुक्त करने की व्यवस्था रखी गई हैं। केन्द्र सरकार की स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा एनपीएस–लाईट में एक वर्ष में न्यूनतम 1000/– से 12000/–रूपए तक अंशदान जमा कराने का प्रावधान किया गया हैं।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार विश्वकर्मा योजना के सदस्यों को एनपीएस–स्वावलम्बन योजना से जोडने के लिये विश्वकर्मा योजना में नये सदस्य बनाया जाना तथा सदस्यों के अंशदान लिया जाना 31 मार्च, 2011 से बंद किया गया तथा स्वावलम्बन योजना के लिये भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान को पीएफआरडीए से एग्रीगेटर नियुक्त कराया गया। मण्डल द्वारा जमीनी स्तर पर योजना को क्रियान्वित करने के लिये फेसिलिटेटर का चयन कर सदस्यों से एनपीएस/स्वावलम्बन योजना में सम्मिलित होने के लिए सहमति तथा सदस्यता आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। मार्च, 2015 तक 27408 सदस्यों को स्वावलम्बन योजना से जोडा गया। भारत सरकार द्वारा अप्रेल 2015 से स्वावलम्बन योजना में नये सदस्य बनाया जाना बंद किया गया है। स्वावलम्बन योजना के विद्यमान सदस्य जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है, वे अटल पेन्शन योजना में शामिल होने के पात्र माने गये है।

7.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए वर्ष 1996 में उपरोक्त अधिनियम पारित किये गये हैं। मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा कार्य की दशाओं संबंधी प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत ''राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2009'' दिनांक 30 अप्रेल, 2009 को

राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किये गये। माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में ''भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान'' दिनांक 27.07.2009 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया व कल्याण कोष की स्थापना की गई है। श्रम विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों को अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक, पंजीयन अधिकारी एवं उपकर संग्रहक, उपकर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी आदि नियुक्त किया गया है। प्रारंभ में श्रम विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों को निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु अधिकृत किया गया था। हिताधिकारियों के पंजीयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए और सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल संसाधन विभाग के सहायक अभियन्ताओं को उनके कार्यक्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव/ग्राम सेवक तथा पंचायत स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र हेतु, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करने हेतु अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 द्वारा अधिकृत किया गया है। ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन सुविधा भी मार्च, 2015 से प्रारंभ की गई तथा दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओ के आवेदनों का अनिवार्य रूप से ऑनलाईन निस्तारित किये जाने की व्यवस्था लागू की गई। इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों से प्रतिवर्ष 60 रूपये की दर से ली जाने वाली अंशदान राशि के स्थान पर 5 वर्षो के लिये एक मुश्त 60 रूपये अंशदान राशि लिये जाने का प्रावधान भी किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों की प्रगति निम्न तालिकानुसार है :–

मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का वर्षवार प्रगति विवरणः–

वर्ष	पंजीकृत हिताधिकारी की संख्या	मण्डल की योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या	जमा उपकर राशि (करोड़ रूपयों में)	व्यय की गई राशि (करोड़ रूपयों में)
2017–18	4,46,690	1,19,595	338.68	305.22
2018–19	2,11,260	1,72,025	382.59	439.65
2019–20	1,19,395	2,08,202	412.82	335.36
2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)	1,79,487	71,323	232.09	187.66

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा हिताधिकारियों व उनके आश्रितों के हितार्थ विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना–** इस योजना में हिताधिकारियों के बच्चों की सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और मेधावी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति/प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्धेशय से योजना बनायी गई है, जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि देय हैः–

छात्रवृति	कक्षा 6 से 8		कक्षा 9 से 12		आईटीआई		डिप्लोमा*	
	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन
राशि रू.	8,000	9,000	9,000	10,000	9,000	10,000	10,000	11,000

छात्रवृति	स्नातक (सामान्य)		स्नातक (प्रोफेशनल)*		स्नातकोत्तर (सामान्य)		स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)*	
	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा/विशेष योग्यजन
राशि रू.	13,000	15,000	18,000	20,000	15,000	17,000	23,000	25,000

मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार	कक्षा 8 से 10	कक्षा 11–12	डिप्लोमा	स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक (प्रोफेशनल)*	स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)*
राशि रू.	4,000	6,000	10,000	8,000	12,000	25,000	35,000

***** डिप्लोमा व प्रोफेशनल कोर्स को योजना में परिभाषित किया गया है।

- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में संशोधन कर 10वीं अथवा 12वीं कक्षा की परीक्षा में संबंधित बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में पंजीकृत निर्माण श्रमिको के, मैरिट में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चो को, वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि क्रमशः रूपये 4000/– अथवा रूपये 6000/– के स्थान पर रूपये 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

2. **निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना–** मण्डल की विद्यमान योजना ''हिताधिकारियों द्वारा आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान योजना'' के स्वरूप में परिर्वतन तथा हितलाभ में वृद्धि करते हुये, पंजीकृत हिताधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल (अरबन) मिशन, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य आवास योजना की पात्रतानुसार आवास प्राप्त करने के लिए अथवा स्वयं का आवास निर्माण के लिए अधिकतम अधिकतम 1.50 लाख रू. की सीमा तक का अनुदान दिये जाने की योजना लागू की गई है।

3. **निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना–** इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों द्वारा अपने बैंक खातों के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए जमा कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि अथवा अंशदान (1000 रू. मासिक पेंशन प्राप्त करने हेतु) राशि का 50 से 100 प्रतिशत तक मण्डल द्वारा पुनर्भरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आम आदमी बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए शतप्रतिशत प्रीमियम राशि मण्डल द्वारा दी जायेगी।

4. **शुभशक्ति योजना–** हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्रियों/अविवाहिता महिला हिताधिकारी को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना 01 जनवरी, 2016 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 55 हजार रू. प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी, जिसका उपयोग पुत्री के विवेकानुसार आगे शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ करने, कौशल विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु किया जा सकेगा।

5. **हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना–** इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 5 लाख एवं सामान्य मृत्यु होने की दशा में रू. 2.00 लाख रू. की सहायता राशि तथा दुर्घटना स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रू., स्थाई आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रू. तथा घायल होने पर 5 से 20 हजार रू. तक सहायता राशि मण्डल द्वारा दी जाती है।

6. **प्रसूति सहायता योजना–** इस योजना के अन्तर्गत महिला हिताधिकारी एवं पुरूष हिताधिकारी की पत्नी के 2 प्रसव के लिए देय प्रति प्रसव लड़के का जन्म होने पर 20,000 रू. तथा लड़की का जन्म होने पर 21,000 रू. की सहायता राशि दी जाती है।

7. **सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, 2015**– इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों को सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 2.00 लाख रू. तथा सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर 3.00 लाख की सहायता मण्डल द्वारा प्रदान की जाती है।

8. **टूलकिट सहायता योजना–** इस योजना के अन्तर्गत 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसका नियमित अंशदान जमा है, को 2,000 रू. कार्य संबंधित औजार खरीदने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

9. **निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना–** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 लाख रूपये तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का, पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

10. **निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना –** इस योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी :–

भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर– रूपये 1,00,000/–
राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर – रूपये 50,000/–

11. **निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना–** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री का आई.आई.टी./आई.आई. एम. पाठक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुर्नभरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

12. **निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना–** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को विदेश में नियोजन के उद्देश्य से वीजा हेतु किए गए व्यय के पुनर्भरण हेतु मण्डल स्तर से अधिकतम रूपये 5000/– की राशि पुनर्भरण किया जायेगा।

13. **निर्माण श्रमिक अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना–** इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चो को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी :–

प्रतियोगिता में भाग लेने पर – रूपये 2,00,000/–
कांस्य पदक प्राप्त करने पर – रूपये 5,00,000/–
रजत पदक प्राप्त करने पर – रूपये 8,00,000/–
स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – रूपये 11,00,000/–

7.4 **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008–** केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 दिनांक 31.12.2008 को अधिसूचित किया गया, जिसे 16 मई, 2009 से प्रभावी किया गया है। अधिनियम में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा असंगठित श्रमिकों के हितार्थ, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम, 2011 दिनांक 03 मार्च, 2011 को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किये गये हैं। अधिनियम की धारा– 6 के तहत माननीय श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान

राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन किया गया है। अधिनियम के तहत अंसगठित श्रमिकों के पंजीयन करने का दायित्व जिला प्रशासन में निहित है।

राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू कर उनमें जागरूकता प्रदान करने हेतु राज्य के बजट वर्ष 2016–17 की घोषणा अनुसार राज्य के सभी जिलों में ''सुविधा एवं सूचना केन्द्र'' स्थापित किये जा चुके है। इन केन्द्रों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों में उपलब्ध अधिकारों एवं हितलाभों की जानकारी देने, पंजीयन की जानकारी देने, कल्याणकारी योजना में देय हितलाभों की जानकारी, आवेदन पत्रों की पूर्ति करवाना, उनकी शंकाओं का समाधान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को वृद्वावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने निम्न पेंशन योजनाएं लागू की है–

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
2. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी (NPS-Traders) पेंशन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के कर्मकार यथा– गली में फेरी लगाने वाले, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट–भट्टा श्रमिक, कचरा बीनने वाले, घरेलू श्रमिक, मोची, धोबी, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, बीडी श्रमिक, हाथ करघा श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक आदि ऐसे ही अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों को प्राप्त होगा।

इन श्रमिकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होना आवश्यक है तथा इनकी मासिक आय 15,000/–रूपये तक होने पर ये श्रमिक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हैं। पात्र श्रमिक 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान जमा कराने पर 60 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रतिमाह 3000/–रूपये मासिक पेन्शन प्राप्त करने के अधिकारी होगें। जो श्रमिक राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एन.पी.एस.), ई0एस0आई0, पी0एफ0 योजना में शामिल हैं अथवा आयकर दाता हैं, ऐसे श्रमिक इस योजना हेतु पात्र नहीं हैं।

इसी प्रकार लघु व्यापारियों हेतु एन.पी.एस.ट्रेडर्स नाम से पेन्शन योजना लागू की गई है जिसका लाभ लघु व्यापारियों जो स्व–नियोजित हैं, खुदरा व्यापारी, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेन्ट, रीयल एस्टेट एजेन्ट, लघु होटल/रेस्त्रां मालिक, दुकान मालिक अथवा इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होगा। योजना से जुडने हेतु व्यापारी की आयु 18 से 40 वर्ष होना आवश्यक है तथा उसका कुल वार्षिक कारोबार 1.5 करोड से अधिक नहीं होना चाहिए। लघु व्यापारी 60 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रतिमाह 3000/–रूपये मासिक पेन्शन प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

उपरोक्त दोनों योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति को कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) अथवा ई–मित्र केन्द्र पर सम्पर्क करना होगा। पात्र व्यक्ति निम्नलिखित दस्तावेजों को साथ ले जाकर योजना में अपना पंजीयन करा सकता है:–

1. **आधार कार्ड की प्रति।**
2. **बचत खाता/जनधन खाते की पासबुक।**
3. **मोबाईल फोन (पंजीयन हेतु प्राप्त होने वाले ओ.टी.पी. के लिए)।**

प्रथम बार अंशदान राशि का भुगतान सीधे नागरिक सेवा केन्द्र को नगद रूप से किया जायेगा जिसकी रसीद नागरिक सेवा केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अंशदान राशि आयु के अनुसार 55/–रूपये मासिक से 200/–रूपये मासिक निर्धारित है तथा भारत सरकार द्वारा भी इसी अनुपात में समान राशि पेन्शन खाते में जमा करायी जायेगी।

नागरिक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त राजस्थान राज्य में ई–मित्र केन्द्रों को भी उक्त योजनाओं हेतु पंजीयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

8. मजदूरी

8.1 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

- मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के अल्प वेतनभोगी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त होना सुनिश्चित कराना विभाग का दायित्व हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य में कुल 62 नियोजनों को अनुसूची में सम्मिलित किया गया हैं।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन दरों एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण एवं पुर्ननिर्धारण किया जाता हैं।
- राज्य में 6 अधिसूचित नियोजनों, पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चायनावेयर संस्थान, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले, दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन, पापड़ एवं किसी तम्बाकू (जिसके अंतर्गत बीड़ी बनाना भी हैं) अभिनिर्माण नियोजन, में न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था लागू की गई हैं। विवरण सारणी 'अ–1 व अ–2' के अनुसार हैं।
- अधिनियम के प्रावधानो के तहत राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन की अध्यक्षता में राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल का गठन किया हुआ हैं। 1 मई, 2019 से अकुशल श्रमिक 225/–, अर्द्धकुशल श्रमिक 237/– कुशल श्रमिक 249/– एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 299/– रूपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम वेतन दिए जाने की अधिसूचना संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म. अभिवृद्धि/श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15744 दिनांक 19.08.2020 को जारी की गई।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम–रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध मे श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभिवृद्धि/श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15790 दिनांक 19.08.2020 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरे पुनरिक्षित की जा चुकी हैं।
- अधिनियम की अनुपालना प्रमुख रूप से विभाग मे नियुक्त श्रम निरीक्षकों के माध्यम से करायी जाती हैं। श्रम निरीक्षक इस अधिनियम के तहत निरीक्षक नियुक्त हैं। उनके द्वारा समय–समय पर संस्थानों के निरीक्षण किये जाते हैं और यदि किसी संस्थान में श्रमिकों को न्यूनतम दरों से कम वेतन का भुगतान करना पाया जाता हैं तो वे अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष न्यूनतम वेतन से कम किये गये भुगतान, साप्ताहिक अवकाश के दिनों मे लिये गये कार्य के एवज में भुगतान तथा

अधिसमय कार्य के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करते हैं। प्राधिकारी द्वारा भुगतान के अंतर के अलावा 10 गुणा तक मुआवजा दिये जाने के आदेश पारित किये जा सकते हैं।

- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.05.2007 के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 22–एफ के तहत सभी अनुसूचित नियोजनों पर वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के समस्त प्रावधान लागू कर दिये गये हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोजन

क्रं.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
1.	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2.	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3.	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4.	कॉटन–डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5.	स्माल स्केल इण्ड़स्ट्रीज
6.	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7.	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8.	पावरलूम फैक्ट्रीज
9.	प्रिंटिंग प्रेस
10.	सिनेमा इण्ड़स्ट्रीज
11.	तेल मिल (ऑयल मिल)
12.	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13.	वूल क्लीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14.	हैंण्डलूम उद्योग
15.	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन
16.	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17.	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18.	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19.	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20.	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22.	सड़को के संनिर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23.	ईंट भट्टों के उद्योग में नियोजन
24.	सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक/कामगार भी शामिल हैं)
25.	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
26.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27.	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार

28.	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
29.	जट पट्टी उद्योग
30.	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
31.	अनुसूची भाग–2 कृषि में नियोजन
32.	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम–रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोडकर)
33.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी हैं) अभिनिर्माण नियोजन
34.	पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर)
35.	ग्लास एवं चाईनावेयर संस्थान
36.	नमक उद्योग
37.	ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन
38.	पापड़ उद्योग
39.	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन (30.8.1996 से सम्मिलित)
40.	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन। (30.8.1996 से सम्मिलित)
41.	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन (19.4.2003 से सम्मिलित)
42.	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन ––''––
43.	कोल्ड ड्रिंक्स, सोड़ा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन ––''––
44.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन ––''––
45.	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन ––''––
46.	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन ––''––
47.	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं मे नियोजन ––''––
48.	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन ––''––
49.	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन ––''––
50.	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स को–ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन ––''––
51.	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन ––''––
52.	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन ––''––
53.	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन ––''––
54.	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन ––''––
55.	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं हैं ––''––
56.	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन ––''––
57.	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन ––''––
58.	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन ––''––
59.	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन ––''––
60.	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन ––''––
61.	घरों में नियोजित श्रमिक (21.9.2006 से सम्मलित)
62.	विक्रय संवर्द्धन कार्य में नियोजन (17.8.2010 से सम्मलित)

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	2157	14	228	1800
2018–19	2306	4	6	2500
2019–20	2736	15	13	7400
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	1747	21	18	5000

प्राधिकारियों द्वारा निर्णित दावें एवं अवार्ड राशि

वर्ष	प्रारंभ में शेष मामले	प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	अंत में शेष मामले	अवार्ड राशि (रूपयो में)
1	2	3	4	5	6	7
2017–18	1280	253	1533	136	1397	3551044
2018–19	1397	145	1542	163	1379	1063710
2019–20	1321	260	1581	298	1283	8382024
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	1283	224	1507	94	1413	5124489

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 1321 है।

8.2 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

श्रमिको के वेतन के भुगतान को विनियमित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया हैं। अधिनियम के तहत श्रमिकों के वेतन भुगतान की समय सीमा, वेतन में से की जा सकने वाली कटौतियों के प्रावधानों के अलावा अवैध रूप से वेतन से कटौती एवं वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। इस अधिनियम के तहत निर्धारित वेतन सीमा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.8.2017 से बढाकर 24,000 रूपये कर दी गई हैं। अधिनियम के तहत दावे संबंधित श्रमिक या उनके प्रतिनिधियों या श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रावधान हैं। श्रम विभाग के जिला कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारी नियुक्त हैं, जिन्हे दावे सुनने का अधिकार हैं। प्राधिकारी को अवैध रूप से रोकी गई राशि अथवा अवैध कटौती राशि को वापिस दिलाने तथा उस पर 10 गुणा तक मुआवजा दिलाने का अधिकार हैं।

वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	714	11	47	3500
2018–19	760	1	–	–
2019–20	1178	8	11	13500
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	640	13	9	7000

प्राधिकारियों द्वारा निर्णित दावे एवं अवार्ड राशि

वर्ष	प्रारंभ में शेष मामले	प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	अंत में शेष मामले	अवार्ड राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
2017–18	2714	500	3214	344	2870	30074327
2018–19	2870	306	3176	349	2827	31648491
2019–20	2411	500	2911	561	2350	37854273
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	2350	223	2573	136	2437	6651962

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 2411 है।

8.3 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

इस अधिनियम के तहत वर्तमान में 21000/–रू0 प्रतिमाह वेतन पाने वाले श्रमिकों को वार्षिक बोनस राशि का भुगतान करने का प्रावधान हैं। बोनस राशि की गणना हेतु वेतन की राशि अधिकतम 7,000/– मानी गई है। बोनस नहीं दिये जाने पर नियोजक के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत देय बोनस का भुगतान श्रमिक को करवाने हेतु श्रम निरीक्षक/श्रम संगठन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत) दावा पेश किया जाता हैं।

बोनस भुगतान अधिनियम के तहत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	166	–	–	–
2018–19	153	–	–	–
2019–20	249	2	1	500
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	124	–	–	–

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15744जयपुर, दिनांक : 19.8.2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज्य–पत्र में निम्नाकिंत अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारी के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/7182 दिनांक 6.3.2019 द्वारा राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा–5 की उप–धारा–(2) सपठित धारा–3 की उप–धारा (1)खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नाकित अनुसूची ''भाग–1 एवम भाग–2'' में सम्मलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती हैः–

अनुसूची " भाग–I"

क्र.सं0	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटन–डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज

11	तेल मिल (ऑयल मिल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभ्रक कर्मान्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22	सड़को के संन्निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिंजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक/कामगार भी शामिल है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोड़ा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एचवं संस्थाओं मे नियोजन

39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स को–ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ.एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन
48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग ऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

अनुसूची " भाग–II"

क्रं.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
52	**(कृषि में नियोजन)**– किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ–साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनूसूची भाग I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
1. **अकुशल** – बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर,, फर्राश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक,	5850/–	225/–

साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रोली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर–क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर – होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100–100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)		
2. **अर्द्धकुशल** – मुंशी, भू मापक,, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे–मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईंगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर,	6162/–	237/–

डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्बलिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर्र, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)		
3. **कुशल** – मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्ति तक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विप्मेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम	6474/–	249/–

जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिटेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर–लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर,डाईंग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन,कार्डिग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस–ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्क्रिन प्रिन्टिग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कूशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक **प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिसटेंट** तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
उच्च कुशल (highly skilled)- स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, **लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर,** फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, **कुक,मेल/फिमेल, नर्स** तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)	7774/–	299/–

टिप्पणियॉः–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. **(क) अकुशल** (Unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नही है, सम्मिलित है। 2 वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।

   (ख) अर्द्धकुशल (Semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है। अर्द्धकुशल श्रेणी में सम्मिलित समस्त कामगार 3 वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदूरी पाने के अधिकारी होंगे।

   (ग) कुशल (Skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त

कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऐं अर्जित कर ली है, जो भी पहले हो, वह उच्च कुशल कामगार के समकक्ष दरों से मजदूरी पाने का अधिकारी होगा।

(घ) उच्च कुशल (Highly Skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।

7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

8. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।

9. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(Consumer Price Index)** दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।

10. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।

11. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15745–89 जयपुर, दिनांकः19.8.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या–1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15790 जयपुर, दिनांक 19.8.2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज–पत्र में **''ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम–रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं''** (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोडकर) में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूतनम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/7192 दिनांक 6.3.2019 से राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा–5 की उप–धारा–(2) सपठित धारा–3 की उप–धारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **''ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम–रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं''** नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती हैः–

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**कार्य मात्रा**	**अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)**
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नीव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैंकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ. मी.	225.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ. मी.	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ. मी.	225.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ. मी.	225.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ. मी.	225.00
1.04	नींव में धाडला, कंकर या झाझारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ. मी.	225.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बोन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना	5.00 घ. मी.	225.00
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ. मी.	225.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ. मी.	225.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ. मी.	225.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ. मी.	225.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना- मसाले में	1.00 घ. मी.	225.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंट-मसाले में	1.00 घ. मी.	225.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ. मी.	225.00
1.13	ईटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ. मी.	225.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ. मी.	225.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ. मी.	225.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	225.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 व.मी.	225.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59 व.मी.	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	225.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 व.मी.	225.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00 व.मी.	225.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईंट गारा खडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18 व.मी.	225.00
1.23	पक्के ईंट के टुकड़े या पत्थर के पच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09 व.मी.	225.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईंट का वर्गाकार खडंजा मसाले में लगाना	5.56 व.मी.	225.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़ डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	2.86 व.मी.	225.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड स्टील के साथ	2.78 व.मी.	225.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट डालना	0.4 व.मी.	225.00
1.28	सैंन्टरिंग, शटरिंग	6.66 व.मी.	225.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 कि.ग्रा.	225.00
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छत डालना	12.27 व.मी.	225.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00 व.मी.	225.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50 व.मी.	225.00
1.33	लोहे के गर्डर को काटना, चढाना, लगाना	66.73 व.मी.	225.00
1.34	3 मी. पटाव वाली क़डियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	225.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ. मी.	225.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खडंजा लगाना	3.33 घ. मी.	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ. मी.	225.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीट डालना	0.61 घ. मी.	225.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	225.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	225.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	225.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	225.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	225.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	225.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	225.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	225.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	225.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	225.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	225.00
1.50	दरवाजों/खिड़्कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	225.00
1.51	सीमेन्ट–कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	225.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	225.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	225.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	225.00
	<u>सड़क कार्य</u>		
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टा लगाना, गड्डा ठीक करना		
	(1)150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	225.00
	(2)300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(3)600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	225.00
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	225.00
	(5)1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	225.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	225.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा मं केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1)साधारण मिट्टी	4.00 घ. मी.	225.00
	(2)सख्त-चिकनी मिट्टी में	2.50 घ. मी.	225.00
	(3)कंकर मिट्टी में	1.82 घ. मी.	225.00
	(4)मुलायम चट्टान	1.11 घ. मी.	225.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ. मी.	225.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ. मी.	225.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ. मी.	225.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ. मी.	225.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ. मी.	225.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ. मी.	225.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ. मी.	225.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ. मी.	225.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ. मी.	225.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ. मी.	225.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ. मी.	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ. मी.	225.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ. मी.	225.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ. मी.	225.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सडक के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी. तक ले जाना, डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ. मी.	225.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ. मी.	225.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ. मी.	225.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	3.33 घ. मी.	225.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना (रोलर से कुटाई के अलावा)	1.72 घ. मी.	225.00
1.66	बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 व.मी.	225.00
	बिना मसाले के सूखा/सीमेन्ट बजरी	3.13 व.मी.	225.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ. मी.	225.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	0.61 घ. मी.	225.00
	सामाजिक वानिकी		

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.69	1.50X0.90X1.2 मीटर माप की खड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डे बाड़	225.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डे बाड़	225.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डे बाड़	225.00
1.70	डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	225.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	225.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	225.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	225.00
1.72	45X45X45 से.मी. माप के गड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00 गड्डे	225.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00 गड्डे	225.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00 गड्डे	225.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	225.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	225.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	225.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	225.00
1.76	पौधों की निडाई-गुडाई	111.00पौधा	225.00
1.77	थांवला बनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	225.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.78	उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	225.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ. मी.	225.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ. मी.	225.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ. मी.	225.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ. मी.	225.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ. मी.	225.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाईल में	2.00 घ. मी.	225.00
	<u>स्वच्छता</u> जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	2.00नग	225.00
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33नग	225.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	225.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	225.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	225.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस.डब्ल्यू.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टेªन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	225.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.88	चाइना क्ले की चमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	225.00
1.89	आरसीसी का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व	225.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27 कर्व	225.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61 कर्व	225.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14 कर्व	225.00
1.90	आर.सी.सी. के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50 रिंग	225.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	10.00 रिंग	225.00
	(3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	6.67 रिंग	225.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	5.00 रिंग	225.00

टिप्पणीः–

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।
5. उक्त मजदूरी दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15791–835 जयपुर, दिनांक 19.8.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15836 जयपुर, दिनांकः 19.8.2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज–पत्र में '' **विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन**'' में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/7202 दिनांक 6.3.2019 से राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा–5 की उप–धारा–(2) सपठित धारा–3 की उप–धारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में '' **विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन**'' में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती हैः–

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	**उच्च कुशल**ः– विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.)	299/– रूपये प्रतिदिन या 7774/– रूपये प्रतिमाह

टिप्पणियॉः–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. **(क) उच्च कुशल** (highly skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15837–881 जयपुर, दिनांक 19.8.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15882 जयपुर, दिनांक : 19.8.2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज–पत्र **"ईट भट्टों के उधोग में नियोजन"** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/7210 दिनांक 6.3.2019 से राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा–5 की उप–धारा–(2) सपठित धारा–3 की उप–धारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **"ईट भट्टों के उधोग में नियोजन"** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती हैः–

ईट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	श्रमिकों /कर्मचारियों के वर्ग	कार्य की मात्रा	पीस रेट न्यूनतम मजदूरी (रूपये में)
1	पथेर (कच्ची ईट की थपाई)	1000 ईट प्रति व्यक्ति	249/–
2	भराई वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	121/–
3	निकासी वाला	1000 ईट प्रति व्यक्ति	139/–
4	पक्की ईट की लोडिंग	1000 ईट प्रति व्यक्ति	82/–
5	गठ्ठी बंद कराई	प्रति गठ्ठी प्रति व्यक्ति	93/–
6	जलाई वाला	–	249/– प्रति दिन
7	जलाई मिस्त्री	–	7774/–प्रति माह
8	सफाई प्रति गेड	–	225/– प्रति दिन
9	बैलदार/रापस्या	–	225/– प्रति दिन
10	पाणतिया	–	237/– प्रति दिन
11	जमादार	–	249/– प्रति दिन

टिप्पणियाः–

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय **(overtime)** कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
5. **(क) अकुशल** (unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।
   (ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी सम्मिलित है।
   (ग) कुशल (skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये है। इव अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पाट/15883–927 जयपुर, दिनांक 19.8.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या–1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15928 जयपुर, दिनांक 19.8.2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज–पत्र में **''घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)''** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/7220 दिनांक 6.3.2019 द्वारा राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग–1 (ख) दिनांक 7.3.2019 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा–5 की उप–धारा–(2) सपठित धारा–3 की उप–धारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 7.6.2018 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 12.6.2018 में प्रकाशित हुई थी का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **''घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)''** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.05.2019 से पुनरीक्षित करती हैः–

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में)
1	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	809.00
2	कपडे धाने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	809.00
3	कपडे धोना–बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	809.00
4	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	809.00
5	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	809.00
6	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	6474.00

टिप्पणियांः–

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावगी।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.9.2017 से 31.12.2018 तक अधिसूचना में सम्मिलित किये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 305 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.05.2019 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/15929–973 जयपुर, दिनांकः19.8.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. अधीक्षक, (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. उप सचिव (ए.एस.) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
11. उपनिदेशक (एसीपी) आईटीसेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या– 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करे।
12. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर

सारणी अ–1

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट–1/19815 जयपुर, दिनांकः 30.09.2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ.1 (8) न्यू.म.श्रम/2000:–राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2000 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2003 (1960= 100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11 सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/ पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसार जुलाई, 2019 से जून, 2020 के 12 महीनों की अवधि में अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 7132 (1960=100) रहा है और इस प्रकार श्रम ब्यूरो, शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6635 (1960 =100) (माह जुलाई, 2018 से जून, 2019 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2019 से जून, 2020 की अवधि में (7132–6635= 497 पॉइन्ट) 497 औसत बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 एवं एस.ओ. 77 दिनांक 24.5.2008 के द्वारा जारी निर्देश एवं मान (वैल्यू) के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचनाएं क्रमांक एफ.1 (8) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/12526 दिनांक 26.9.2000

एवं क्रमांक एफ.8(1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसरण में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा :–

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (रू. में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें	कुल मजदूरी
1	2	3	4	5	6
1.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन	1. सभी प्रकार की बीड़ी रोलिंग का कार्य	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 72.89 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 145.57 प्रति एक हजार बीड़ी
		2. बंडल रेपिंग एवं पैकिंग	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 72.89 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 145.57 प्रति एक हजार बीड़ी
		3. बीड़ी सोटर्स एवं चैकर्स (पूरे समय का श्रमिक एवं क्लर्क्स)	रू0 2648.76 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7777.76 प्रतिमाह
		4. सनफ पैकिंग	रू0 2254.89 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7383.89 प्रति माह
		5. अन्य श्रमिक–तम्बाकू मिक्स, तम्बाकू सोटर्स भट्टे वाला तथा पल्लेदार	रू0 2106 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7235 प्रतिमाह
		6. चौकीदार, वाचमैन	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू0 5129 प्रतिमाह	रू0 7296.90 प्रतिमाह

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. स्तम्भ संख्या 3 क्रम संख्या 1 एवं 2 के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (497 अंक) के आधार पर डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी (रोलिंग/बंडल रैपिंग एवं पैकिंग) के मान से की गई है। (अधिसूचना 24.5.2008 के अनुसार)

3. स्तम्भ 3 के क्रम में संख्या 3 से 6 वर्ग के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना माह जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (497 अंक) के आधार पर एक रूपया प्रति बिन्दू प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।

4. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।

5. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।

6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

7. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(प्रतीक झाझडिया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट–1/19816–25 दिनांकः 30.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप निदेशक, (आई.टी सेल) को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करावे तथा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्श कराने का श्रम करे।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0), राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

:

ह0/-
(प्रतीक झाझडिया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

सारणी अ–2

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट–1/19804 दिनांकः 30.09.2020

अधिसूचना

संख्या एफ.8(1)(वी.डी.ए.)न्यू.म./श्रम/2000ः–चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरे एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1999 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचंकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसार जूलाई, 2019 से जून, 2020 के 12 महीनों की अवधि में अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 7132 (1960=100) रहा है और इस प्रकार पूर्व में श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6635 (1960=100) (माह जुलाई, 2018 से जून, 2019 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2019 से जून, 2020 की अवधि में (7132–6635=497 पॉइन्ट) 497 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा निर्धारित मान एवं निर्देशों के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम–11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000 पार्ट–I 16158 दिनांक 20.08.2020 के अनुसरण में **किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021** तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा :–

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग		न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रति माह/प्रति दिन रू0 में)	कुल मजदूरी (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)
1.	पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर)	1. क	**अकुशल कामगार** बेलदार, वर्कर्कीपर, जलधारी, क्रेच अटेन्डेन्ट, स्वीपर, पत्थर ढ़ोने वाला	रू0 2106/– प्रति माह	रू0 5129/– प्रति माह	रू0 7235/– प्रति माह
		ख	मददगार, जरीबी	रू0 1583.15 प्रतिमाह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू0 6712.15 प्रतिमाह
		ग	चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हो)	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7296.90 प्रतिमाह
		2.	**अर्द्धकुशल कामगार** मुंशी, भू–सर्वेक्षक, मेट (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हो)	रू0 2255/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7384/– प्रतिमाह
		3. क	**कुशल कामगार** मिस्त्री, बढ़ई, जलाईदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाईनमैन, बिजली वाला, वाशमेन	रू0 2383/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7512/– प्रतिमाह
		ख	मोटरगाडियों के ड्राईवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राईवर	रू0 2656/ प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7785/– प्रतिमाह
		ग	यांत्रिक, आन्धिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक	रू0 2656/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7785/– प्रतिमाह
2.	**ग्लास एवं चाईनावेयर**	1.	अकुशल कामगार	रू0 2106/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7235/– प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार	रू0 2255/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7384/– प्रतिमाह
		3.	कुशल कामगार	रू0 2383/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7512/– प्रतिमाह
3.	**नमक उद्योग**	क	**निर्माण कार्य (मैन्यूफैक्चरिंग)–** क्यारियों का समतल करना, धुलाई, सफाई, रेस्टा फैलाना, नील हटाना, तारी तोड़ना, नालियों की सफाई आदि घाटी से चिकनी मिट्टी हटाना, क्यारियों का पुनर्भरण	रू0 2106/– प्रतिमाह	रू 5129/– प्रतिमाह	रू0 7235/– प्रतिमाह

		ख	**निकासी एवं भण्डारण**			
		1.	ढेर लगाना, ढुलाई तथा ट्रकों में लदाई जहां से कार्य एक ही कामगार टोली द्वारा किया जावे (100 क्यूबिक फीट)	रू0 33.55 प्रति 104.25क्यू. मीटर्स	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		2.	ढेर लगाना, ढुलाई या बोरी	रू0 2106/– प्रतिमाह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू0 7235/– प्रतिमाह
		ग	**प्रेषण कार्य में ट्रकों में लदाई सम्मिलित रूप से अथवा अकेले**			
		1.	कटाई एवं भराई	रू0 272.75 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रू 5129/– प्रति माह या रू0 197.27 प्रति दिन	–
		2.	तुलाई एवं लदाई	रू0 435.63 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रू0 5129/– प्रति माह या रू0 197.27 प्रति दिन	–
		3.	सिलाई	रू0 52.35/– प्रति 156 बेग्स या 145 क्वि. के वेगन लोड परन्तु 60रू0 प्रतिदिन से कम नहीं होगा	रू0 5129/– प्रति माह या रू0 197.27 प्रति दिन	–
		घ	**सामान्य**			
		1.	पम्पिंग कामगार मिस्त्री	रू0 117.57 प्रतिदिन	रू0 197.27 प्रतिदिन	रू0 314.84 प्रतिदिन
		2.	अन्य प्रणाली या कार्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।	रू0 81/– प्रतिदिन	रू0 197.27 प्रतिदिन	रू0 278.27 प्रतिदिन
		3.	बंधेवाल	रू0 327.41 प्रति मीट्रिक टन	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	रू0 524.68 प्रतिदिन
4.	**ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन**	1.	टाईम रेट मेन्यूअल ऑक्यूपेशनल मिनिमम टाइम रेट	रू0 2106/– प्रतिमाह या 81 रू0 प्रतिदिन	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	रू 7235/– प्रतिमाह या रू0 278.27 प्रतिदिन
		2.	**पीस रेट ऑक्यूपेशन**			
		क	यार्न ओपनर मिल स्पून 40 काउन्ट तक	रू0 4.05 प्रति किलो (हेण्ड स्पून 30 किलो तक)रू0 8.10 प्रति किलो	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
			मिल स्पून 70 काउन्ट तक	रू 9.25 प्रति किलो	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–

			मिल स्पून 70 काउन्ट से अधिक	रू0 10.38 प्रति किलो	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		अ	स्पिनर वूल स्पून	रू0 2329 प्रति किलो	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		ब	वाशरमैन	रू0 2678 प्रति माह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू0 7807/– प्रतिमाह
		स	ड्राईवर	रू0 2663 प्रति माह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू 7792/– प्रतिमाह
		द 1.	**<u>वीयर प्लेन कारपेट (एक रंग)</u>** 40,000 नॉटस तक प्रति वर्ग गज	रू0 141.72 प्रति वर्गमीटर	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		2.	40000 नॉटस से अधिक के नमूनेदार गलीचे	रू0 144.57 प्रति वर्गमीटर	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		3.	15 रंगो वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 227.68 प्रति वर्गमीटर	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		4.	20 रंगों वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 275.33 प्रति वर्गमीटर	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		5.	20 रंगों से अधिक और 40 हजार नॉटस	रू0 428.83 प्रति वर्गमीटर	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		च	क्लीनर्स	रू0 2504 प्रति माह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू0 7633/– प्रतिमाह
			<u>(4 ग 4) नॉटस</u>			
		छ	एम्बेजर्स	रू0 2752 प्रतिमाह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू0 7881/– प्रतिमाह
		ज	कारपेट मिस्त्री	रू0 2541 प्रतिमाह	रू0 5129/– प्रतिमाह	रू0 7670/– प्रतिमाह
5.	**पापड़ उद्योग**	1.	1.6 इंच साईज तक के पापड प्रति सैकड़ा	रू0 15.11	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		2.	2.6 इंच से अधिक तथा 8 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 19.62	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		3.	8 इंच से अधिक तथा 10 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 22.60	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–

		4.	10 इंच से अधिक तथा 12 इंच तक के पापाड़ प्रति सैकड़ा	रू0 30.19	रू0 5129/– प्रतिमाह या रू0 197.27 प्रतिदिन	–
		5.	पापड बेलने के कार्य के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी इस नियोजन में नियोजित है उसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में नियोजित कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा वी.डी.ए. इस नियोजन के अन्य कामगारों के समान देय होगा।	–	–	–

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. उक्त पांचों अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना जुलाई, 2019 से जून, 2020 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (497 अंक) एक रूपया प्रति बिन्दु प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
3. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
4. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
6. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(प्रतीक झाझडिया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट–1/19805-14 दिनांकः 30.09.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप निदेशक, (आई.टी सेल) को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करावे

   तथा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्श कराने का श्रम करे।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मु0), राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

ह0/-
(प्रतीक झाझडिया)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

9. श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण

राज्य में श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के हितों का संरक्षण करते हुए कम समय में न्याय उपलब्ध करवाना श्रम न्यायालय एवं न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य हैं। राज्य में 12 श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण कार्यरत हैं। जयपुर में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 2 श्रम न्यायालय पृथक–पृथक कार्य कर रहे हैं। जबकि शेष अन्य 9 स्थानों पर (अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर एवं उदयपुर) यह दोनों सम्मिलित रूप से स्थापित हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्राप्त एवं निर्णित मामले

वर्ष	प्रांरभ में शेष मामले	प्राप्त हुए मामले	योग	निर्णित मामले	वर्ष के अंत में अनिर्णित मामले
1	2	3	4	5	6
2017–18	13992	1831	15823	3801	12022
2018–19	12022	1433	13455	2900	10555
2019–20	10479	1346	11825	2713	9112
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	9112	450	9562	266	9296

नोट– श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण बीकानेर द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का कुल प्रारम्भिक शेष 10479 है।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के अनुसार मामलों की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मामलों की स्थिति वर्ष 2017–18

क्रं. सं	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	पूर्व के शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले
1.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर	173	74	247	137	110
2.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर	1851	68	1919	673	1246
3.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाड़ा	663	236	899	157	742
4.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर	733	107	840	126	714
5.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीगंगानगर	542	225	767	394	373
6	श्रम न्यायालय जयपुर (प्रथम)	1850	209	2059	482	1577
7.	श्रम न्यायालय जयपुर (द्वितीय)	929	397	1326	305	1021
8.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	2244	54	2298	343	1955
9.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर	382	116	498	193	305
10.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा	3040	99	3139	618	2521
11.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर	372	50	422	60	362
12	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलवर	1213	196	1409	313	1096
योग		**13992**	**1831**	**15823**	**3801**	**12022**

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मामलों की स्थिति वर्ष 2018–19

क्रं.सं	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	पूर्व के शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले
1.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर	110	114	224	95	129
2.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर	1246	31	1277	520	757
3.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाड़ा	742	158	900	171	729
4.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर	714	64	778	129	649
5.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीगंगानगर	373	248	621	221	400
6	श्रम न्यायालय जयपुर (प्रथम)	1577	287	1864	231	1633
7.	श्रम न्यायालय जयपुर (द्वितीय)	1021	44	1065	252	813
8.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	1955	28	1983	199	1784
9.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर	305	141	446	98	348
10.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा	2521	107	2628	623	2005
11.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर	362	37	399	86	313
12	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलवर	1096	174	1270	275	995
योग		**12022**	**1433**	**13455**	**2900**	**10555**

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मामलों की स्थिति वर्ष 2019–20

क्रं.सं	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	पूर्व के शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले
1.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर	129	90	219	101	118
2.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर	757	31	788	351	437
3.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाड़ा	729	229	958	157	801
4.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर	573	26	599	143	456
5.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीगंगानगर	400	207	607	197	410
6	श्रम न्यायालय जयपुर (प्रथम)	1633	265	1898	162	1736
7.	श्रम न्यायालय जयपुर (द्वितीय)	813	31	844	254	590
8.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	1784	71	1855	315	1540
9.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर	348	95	443	76	367
10.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा	2005	79	2084	591	1493
11.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर	313	83	396	77	319
12	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलवर	995	139	1134	289	845
योग		**10479**	**1346**	**11825**	**2713**	**9112**

नोट– श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण बीकानेर द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का कुल प्रारम्भिक शेष 10479 है।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मामलों की स्थिति वर्ष 2020–21
(माह दिसम्बर 2020 तक)

क्रं.सं	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम	पूर्व के शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले
1.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर	118	54	172	1	171
2.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर	437	7	444	72	372
3.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाड़ा	801	49	850	20	830
4.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर	456	10	466	1	465
5.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीगंगानगर	410	39	449	19	430
6	श्रम न्यायालय जयपुर (प्रथम)	1736	122	1858	5	1853
7.	श्रम न्यायालय जयपुर (द्वितीय)	590	4	594	7	587
8.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	1540	9	1549	25	1524
9.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर	367	62	429	14	415
10.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा	1493	7	1500	35	1465
11.	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर	319	29	348	33	315
12	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलवर	845	58	903	34	869
योग		**9112**	**450**	**9562**	**266**	**9296**

10. अर्द्ध न्यायिक कार्य

श्रम विभाग में नियुक्त श्रम आयुक्त, अति. श्रम आयुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य की शक्तियों के साथ–साथ विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत दावों को सुनने एवं उनका निस्तारण करने की अर्द्ध न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इन अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिनियमों के अन्तर्गत अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही की जा रही हैंः–

- न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948,
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923,
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972,
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एवं
- राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 तथा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत प्राधिकारियों द्वारा निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैंः–

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत निर्णित मामले एवं अवार्ड राशि

वर्ष	प्रारंभ में शेष मामले	प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	अंत में शेष मामले	अवार्ड राशि (रूपयो में)
1	2	3	4	5	6	7
2017–18	7176	1023	8199	1677*	6522	558023268
2018–19	6522	1204	7726	1185*	6541	348015159
2019–20	6530	1109	7639	1359*	6280	420380914
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	6280	573	6853	408*	6445	209479139

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 6530 है।

* 2017–18 में 344, 2018–19 में 299, 2019–20 में 385 एवं 2020–21 में 54 श्रम न्यायालयों द्वारा निस्तारित प्रकरण भी शामिल है।

उपदान भुगतान अधिनियम के तहत प्राधिकारियों द्वारा निर्णित दावें एव अवार्ड राशि

वर्ष	प्रारंभ में शेष मामले	प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	अंत में शेष मामले	अवार्ड राशि (रूपयो में)
1	2	3	4	5	6	7
2017–18	989	122	1111	184	927	11106406
2018–19	927	223	1150	114	1036	8352780
2019–20	987	150	1137	448	689	29611725
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	689	148	837	29	808	2039276

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 987 है।

दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत प्राधिकारियों द्वारा निर्णित दावे तथा अवार्ड राशि

वर्ष	प्रारंभ में शेष मामले	प्राप्त मामले	योग	निर्णित मामले	अंत में शेष मामले	अवार्ड राशि (रूपयो में)
1	2	3	4	5	6	7
2017–18	77	18	95	5	90	0
2018–19	90	6	96	7	89	0
2019–20	83	7	90	32	58	500000
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	58	7	65	3	62	0

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 83 है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों द्वारा निर्णित प्रकरणों का विवरण क्रमश अनु. 8.1 एवं 8.2 पर उपलब्ध हैं।

11. शासकीय कार्य

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत 'समुचित सरकार' को परिभाषित किया गया हैं। विभाग में श्रम आयुक्त तथा अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव द्वारा संपादित किये जा रहे प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं :–

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत विवादों का श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों को न्याय निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना।
2. श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अवार्ड का प्रकाशन करना।
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33सी (1) के तहत वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।
4. अधिनियम की धारा 25 टी, 25 यू एवं 29 के संबंध में धारा 34 के तहत अभियोजन स्वीकृतियां जारी करना।
5. अधिनियम की धारा 10(3) एवं 10–'के' के तहत हडताल एंव तालाबंदी को प्रतिबंधित करना।
6. विभिन्न श्रम अधिनियमों में संशोधन हेतु नोटिफिकेशन जारी करना।
7. राज्य सरकार की ओर से प्राधिकारियों को नियुक्त करना तथा विभिन्न समितियों मे सदस्यों का मनोनयन करना।
8. विभिन्न श्रम अधिनियमों में कतिपय प्रावधानों से छूट देने का कार्य।

11.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत विवादों का न्याय निर्णयार्थ संप्रेषण

अवधि	वर्ष के आंरभ में शेष	वर्ष में प्राप्त विवाद			कुल योग (2+5)	वर्ष में निस्तारण								वर्ष के अंत में शेष
		सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग		रेफरेन्स			नॉन रेफरेन्स			रिमांड	कुल योग (9+12+13)	
						सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2017–18	204	164	173	337	541	106	127	233	11	1	12	27	272	269
2018–19	269	187	173	360	629	167	159	326	18	12	30	27	383	246
2019–20	246	169	124	293	539	121	113	234	36	14	50	15	299	240
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	240	65	38	103	343	81	41	122	11	7	18	1	141	202

11.2 विभिन्न श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों से प्राप्त अवार्ड के प्रकाशन का विवरण

अवधि	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष में प्रकाशित	वर्ष के अंत में शेष
2017–18	736	1955	2691	1650	1041
2018–19	1041	2217	3258	3011	247
2019–20	247	1617	1864	1550	314
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	314	257	571	542	29

11.3 औद्योगिक विवाद अधि0, 1947 की धारा 33–सी.(1) के अंतर्गत वसूली के विचाराधीन व निस्तारित प्रकरणों का विवरण

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	योग	प्रकरण जिनमें पालना हुई	प्रकरण जिनमें कार्यवाही स्थगित की गई	प्रकरण जिनमें वसूली पत्र जारी किये गये	योग (5+6+7)	शेष प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017–18	122	181	303	85	2	27	114	189
2018–19	189	43	232	182	3	25	210	22
2019–20	22	128	150	60	1	25	86	64
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	64	54	118	4	–	20	24	94

11.4 औद्योगिक विवाद अधि0, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन व निस्तारित प्रकरणों का विवरण

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	योग	प्रकरण जिनमें पालना हुई	प्रकरण जिनमें कार्यवाही स्थगित की गई	प्रकरण जिनमें अभियोजन स्वीकृति जारी की गई	योग (5+6+7)	वर्ष के अंत में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017–18	104	163	267	76	45	31	152	115
2018–19	115	138	253	32	23	22	77	176
2019–20	176	114	290	68	13	6	87	203
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	203	39	242	15	6	3	24	218

नोटः– औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(3),10(के) एवं धारा 25 (एम), (एन) (ओ) के अन्तर्गत वर्ष में कोई आदेश जारी नहीं किये गये है।

11.5 उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपीलेट प्राधिकारी द्वारा निस्तारित प्रकरणों का विवरण

अवधि	वर्ष के प्रारंभ में शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	निस्तारण	वर्ष के अंत में शेष
2017–18	5	16	21	17	4
2018–19	4	4	8	6	2
2019–20	2	15	17	10	7
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	7	9	16	2	14

12. श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

श्रम विभाग के कार्य क्षेत्र में निम्न 22 श्रम अधिनियम आते हैं। जिनके प्रशासन व प्रवर्तन की कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जाती हैं। कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षक/अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्य किया जाता हैं तथा किये गये निरीक्षणों के आधार पर दावे (क्लेम) प्रस्तुत किये जाते हैं।

श्रम विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले अधिनियम

1.	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
2.	बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986
3.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
4.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
5.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
6.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
7.	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शतें) अधिनियम, 1979
8.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
9.	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
10.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
11.	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
12.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
13.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
14.	विक्रय बढ़ोतरी कामगार (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976
15.	श्रमिक संघ अधिनियम, 1926
16.	कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार (सेवा की शर्तें) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955
17.	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
18.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
19.	बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
20.	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
21.	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
22.	असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

नवीन श्रम संहिताएं

श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में सम्मिलित करते हुए 4 श्रम संहिताए संसद में प्रस्तुत की गई थी। जिन्हें संसद द्वारा पारित करने के उपरांत राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा दिनांक 29.09.2020 को राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है। उक्त संहिताए अभी लागू नहीं हुई है क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा उपरोक्त श्रम संहिताओं के नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियम बनने के उपरांत भारत सरकार द्वारा उस तारीख का प्रकाशन अधिसूचना में किया जायेगा जब से यह श्रम संहिताए देश में लागू हो जाएगी। तब तक वर्तमान श्रम कानून प्रभावी रहेगें।

राजस्थान में नियम बनाने की प्रगति–

भारत सरकार ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिये है कि सभी राज्य सरकार अपने–अपने राज्य के नियम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे जिससे भारत सरकार द्वारा संहिताओं के लागू करने की दिनांक अधिसूचित करने के पश्चात राज्यों में भी संहिताए समानान्तर रूप से लागू की जा सके। इसके लिए राज्य के नियम बनाने हेतु श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा अधिकारियों की 4 समितियां गठित कर दी गई है। उक्त समितियों द्वारा राज्य के नियम बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा शीघ्र ही नियम प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें।

श्रम संहिताओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण

उक्त पारित की गई 4 श्रम संहिताओं एवं उनमें सम्मिलित किये गये श्रम कानूनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

कोड़ ऑन सॉशियल सीक्योरिटी – इस कोड़ में 9 अधिनियम यथा– कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, ई. एस.आई. अधिनियम, 1948, ईपीएफ अधिनियम, 1952, एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज अधिनियम, 1959, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972, सिने वर्कर वैल्फेयर फण्ड एक्ट, 1981, भवन एवं अन्य सन्निर्माण सैस एक्ट, 1996, असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 सम्मिलित है।

प्रमुख बिन्दूः–

- सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत अब ई.एस.आई. की सुविधा 566 जिलों के स्थान पर 740 जिलों में प्रदान की जाएगी।
- पीएफ के प्रावधान 20 श्रमिकों वाले सभी संस्थानों पर लागू।

- सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान। असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजनाओं का प्रावधान। प्लेटफार्म वर्कर व फुटकर श्रमिकों हेतु भी सामाजिक सुरक्षा।
- ग्रेच्युटी हेतु सेवा की समय सीमा समाप्त एवं फिक्स टर्म कर्मचारी भी योग्य।
- असंगठित श्रमिकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था एवं नेशनल डाटा बेस।
- अन्तर्राज्जीय प्रवासी श्रमिकों में 18 हजार मजदूरी सीमा तक के प्रवासी श्रमिक सम्मिलित।

कोड़ ऑन इण्डस्ट्रीयल रिलेशन – इस कोड में 3 अधिनियम यथा– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 तथा औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 सम्मिलित है।

प्रमुख बिन्दूः–

- ले ऑफ एवं सेवामुक्ति की स्वीकृति के लिए श्रमिक सीमा 100 से 300 की गई।
- स्थाई आदेशो हेतु श्रमिक सीमा 100 से 300 की गई।
- महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानता प्रदान करना।
- हडताल हेतु 60 दिन का नोटिस एवं ट्रिब्यूनल अथवा नेशनल ट्रिब्यूनल की कार्यवाही पूर्ण होने के 60 दिन पश्चात हडताल का प्रावधान।
- 240 दिन के स्थान पर 180 दिन कार्य करने के उपरांत प्रत्येक 20 दिवस पर 1 उर्पाजित अवकाश।
- प्रवासी श्रमिकों हेतु डाटा बेस स्थापित करना एवं हेल्पलाईन सुविधा प्रदान करना।
- आई.टी. सेक्टर के कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

कोड़ ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हैल्थ – इस कोड़ में 13 अधिनियम यथा – कारखाना अधिनियम, 1948, प्लान्टेशन श्रमिक अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996, मोटर ट्रान्सपोर्ट श्रमिक अधिनियम, 1961, बीडी सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966, ठेका श्रम अधिनियम, 1970, विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी अधिनियम, 1976, अंतर्राज्जीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979, सिनेमा श्रमिक अधिनियम, 1981, डॉक वर्कर्स अधिनियम, 1986, कार्यकारी पत्रकार अधिनियम, 1955, एवं कार्यकारी पत्रकार वेतन निर्धारण अधिनियम, 1958 सम्मिलित है।

प्रमुख बिन्दूः–

- श्रमिकों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण।
- प्रथम नियुक्ति के समय नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाना।
- सिनेवर्कर की श्रेणी में ऑडियो विजुवल श्रमिकों को भी सम्मिलित करना।

वेतन संहिता गत वर्ष 8 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति उपरांत राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। जिसमे सम्मिलित श्रम कानूनों का विवरण निम्नप्रकार हैः–

कोड़ ऑन वेजेज – इस कोड़ के अंतर्गत 4 श्रम अधिनियम यथा – न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 एवं समान पाश्रिमिक अधिनियम, 1976 को सम्मिलित कर एक कोड़ बनाया गया है।

प्रमुख बिन्दूः–

- इसके दायरे में सभी निजी, सरकारी, संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी सम्मिलित है।
- वेतन निर्धारण करने हेतु त्रिपक्षीय समिति न्यूनतम वेतन तय करेगी और हर 5 वर्ष में समिक्षा का प्रावधान।
- अतिरिक्त समय (ओवर टाईम) की दर सामान्य से दोगुनी होगी।
- मजदूरी का भुगतान नगद अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम (बैंक ट्रांसफर) से 7 तारीख तक किया जायेगा। कटौतिया 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- लैंगिक आधार पर समान कार्य के लिए मजदूरी में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कार्य

12.1 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

अपने कार्य के दौरान फैक्ट्री या उद्योग में कार्यरत श्रमिकों (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 लागू नहीं हैं) के अस्थाई व स्थाई रूप से अपंग होने अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित को इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि दिलाई जाती हैं। इस हेतु श्रम आयुक्त एवं मुख्यालय पर पदस्थापित संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त संपूर्ण राजस्थान के तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त अपने क्षेत्र के लिए क्षतिपूर्ति आयुक्त घोषित किये हुए हैं। श्रम कल्याण अधिकारी स्तर के कार्यालयों से संबंधित जिलों के लिए न्यायाधीश, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण को कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त घोषित किया हुआ है।

12.2 मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

राज्य में 24000 रूपये प्रतिमाह तक के वेतन पाने वाले सभी श्रमिकों को निश्चित समय पर बिना किसी अनुचित व अवैधानिक कटौती के वेतन दिलवाने के उद्देश्य से इस अधिनियम की रचना की गई हैं। विभाग के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष उक्त राशि का दावा प्रस्तुत किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त किसी श्रमिक द्वारा भी अनुचित एवं अवैध कटौती तथा वेतन न मिलने के संबंध में प्रबन्धक के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

श्रम आयुक्त एवं मुख्यालय पर नियुक्ति सभी अधिकारी पूरे राज्य के लिए एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकारी नियुक्त हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्य के संबंध मे विवरण अनुच्छेद 8.2 में दी गई सारिणी में दिया गया हैं।

12.3 औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946

श्रमिकों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजकों व प्रबन्धकों के मध्य सेवा शर्तें एवं नियमन के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 बना हुआ हैं। यह अधिनियम किसी भी दिन 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले सभी संस्थानों तथा 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले संस्थानों पर लागू हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त श्रम आयुक्त/समस्त संयुक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय) प्रमाणितकर्ता अधिकारी हैं।

संबंधित संस्थानों के नियोजकों को इस अधिनियम की अनुसूची में दिये गये मॉडल स्टेण्डिंग ऑर्डर के अनुरूप ड्राफ्ट स्थाई आदेश प्रमाणितकर्ता अधिकारी को प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होते हैं। प्रमाणीकरण के बाद उक्त प्रमाणीकृत स्थाई आदेश उस संस्था में नियोजित श्रमिकों की सेवा शर्तों में परिणित हो जाते हैं। स्थाई आदेशों का प्रमाणिकरण के संबंध मे विवरण अनुच्छेद 3.6 में दी गई सारिणी में दिया गया हैं।

12.4 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

प्रदेश में कृषि तथा घरों में नियोजित श्रमिकों सहित 62 अनुसूचित नियोजनों पर यह अधिनियम लागू किया गया हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने एवं समय समय पर दरों को संशोधित करने का अधिकार हैं। विभाग के श्रम निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों का निरीक्षण करने एवं अधिनियम की अनुपालना करवाने हेतु अधिकृत हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी श्रमिक को न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलने पर, साप्ताहिक अवकाश के वेतन तथा अतिरिक्त समय किये गये कार्य के वेतन का भुगतान नहीं होने पर स्वयं श्रमिक द्वारा अथवा निरीक्षकों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष रकम का दावा (क्लेम) प्रस्तुत किया जा सकता हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्य कें संबंध में विवरण अनुच्छेद 8.1 में दी गई सारिणी मे दिया गया हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत प्रवर्तन

वर्ष एवं मद	कृषि नियोजन	अन्य नियोजन	योग
2017–18			
(अ) निरीक्षण तथा चालान			
1.निरीक्षण	1176	981	2157
2.न्यायालय में प्रस्तुत चालान	2	12	14
3.न्यायालय द्वारा निर्णित मामले	1	227	228
4.जुर्माने की राशि(रूपयों में)	0	1800	1800
(ब) क्लेम्स			
1.प्रांरभ में शेष	16	1264	1280
2.प्राप्त मामले	10	243	253
3.योग (1+2)	26	1507	1533
4.निर्णित मामले	10	126	136
5.अंत में शेष रहें मामले	16	1381	1397
6.अवार्ड की गई राशि (रूपयों में)	–	3551044	3551044
2018–19			
(अ) निरीक्षण तथा चालान			
1.निरीक्षण	1420	886	2306
2.न्यायालय में प्रस्तुत चालान	–	4	4
3.न्यायालय द्वारा निर्णित मामले	–	6	6
4.जुर्माने की राशि(रूपयों में)	–	2500	2500

(ब) क्लेम्स			
1.प्रांरभ में शेष	16	1381	1397
2.प्राप्त मामले	5	140	145
3.योग (1+2)	21	1521	1542
4.निर्णित मामले	21	142	163
5.अंत में शेष रहैं मामले	0	1379	1379
6.अवार्ड की गई राशि (रूपयों में)	–	1063710	1063710
2019–20			
(अ) निरीक्षण तथा चालान			
1.निरीक्षण	1386	1350	2736
2.न्यायालय में प्रस्तुत चालान	–	15	15
3.न्यायालय द्वारा निर्णित मामले	–	13	13
4.जुर्माने की राशि(रूपयो में)	–	7400	7400
(ब) क्लेम्स			
1.प्रांरभ में शेष	0	1321	1321
2.प्राप्त मामले	–	260	260
3.योग (1+2)	0	1581	1581
4.निर्णित मामले	–	298	298
5.अंत में शेष रहैं मामले	0	1283	1283
6.अवार्ड की गई राशि (रूपयों में)	–	8382024	8382024
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)			
(अ) निरीक्षण तथा चालान			
1.निरीक्षण	993	754	754
2.न्यायालय में प्रस्तुत चालान	–	21	21
3.न्यायालय द्वारा निर्णित मामले	–	18	18
4.जुर्माने की राशि(रूपयो में)	–	5000	5000
(ब) क्लेम्स			
1.प्रांरभ में शेष	0	1283	1283
2.प्राप्त मामले	–	224	224
3.योग (1+2)	0	1507	1507
4.निर्णित मामले	–	94	94
5.अंत में शेष रहैं मामले	0	1413	1413
6.अवार्ड की गई राशि (रूपयों में)	–	5124489	5124489

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 1321 है।

12.5 राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्य के घण्टों व सेवा शर्तों का नियमन करना हैं। यह अधिनियम दुकानों व वाणिज्यिक संस्थानों, होटल व रेस्टोरेन्ट, सिनेमा थियेटर आदि पर लागू हैं। इस समय अधिनियम राज्य में 123 स्थानों पर लागू हैं। 36 स्थानों पर इस अधिनियम की सम्पूर्ण धाराएं लागू हैं। 55 स्थानों पर अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 11, 12 व 33 लागू हैं तथा 20 स्थानों पर अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 12 एवं 33 लागू हैं एवं 12 स्थानों पर अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 33 लागू है।

इस अधिनियम के अंतर्गत सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों का पंजीयन करवाना आवश्यक हैं। वर्ष 2017–18 में 32430 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 6910 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ। वर्ष 2018–19 में 21445 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 6081 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ। वर्ष 2019–20 में 15459 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 4929 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में 6000 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 2277 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ।

दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	655	2	181	1000
2018–19	488	–	–	–
2019–20	932	8	8	2000
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	269	6	5	1000

12.6 मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961

राज्य के उन सभी मोटर यातायात संस्थानों पर यह अधिनियम लागू हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, कल्याण एवं कार्य अवधि आदि का नियमन किया गया हैं।

मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम के तहत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि(रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	8	–	4	–
2018–19	–	–	–	–
2019–20	14	–	–	–
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	–	–	–	–

वर्ष 2017–18 में 58 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 43 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ। वर्ष 2018–19 में 17 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 44 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ। वर्ष 2019–20 में 11 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 24 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में 5 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 27 संस्थानों का नवीनीकरण हुआ।

12.7 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

इस अधिनियम के तहत वर्तमान में 21000/–रू0 प्रतिमाह वेतन पाने वाले श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में एक बार बोनस राशि का भुगतान करने का प्रावधान हैं। बोनस राशि की गणना हेतु वेतन की राशि अधिकतम 7,000/– रूपये मानी गई है। बोनस नियमानुसार नहीं दिये जाने पर नियोजक के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत देय बोनस का भुगतान श्रमिक को करवाने हेतु श्रम निरीक्षक/श्रम संगठन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत) दावा पेश किया जाता हैं।

12.8 बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966

इस अधिनियम के अंतर्गत बीडी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के नियोजन की शर्तों का नियमन किया गया हैं। इस अधिनियम की पालना हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये मुख्यालय स्थित संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्य निरीक्षक तथा श्रम कल्याण अधिकारी, निरीक्षक हैं तथा मुख्यालय के अतिरिक्त कार्यरत समस्त श्रम कल्याण अधिकारी एवं निरीक्षक उनके अधीन क्षेत्राधिकार मे निरीक्षक हैं। श्रम आयुक्त एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त व पदेन उप शासन सचिव राज्य की अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकारी हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी संस्थानों को लाईसेंस लेना एवं उनका नवीनीकरण करवाना आवश्यक हैं जिसके लिए क्षेत्रीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त प्राधिकृत हैं। वर्ष 2017–18 में 1 संस्थान का

पंजीयन हुआ तथा 41 लाईसेंसों का नवीनीकरण किया गया। वर्ष 2018–19 में 2 संस्थान का पंजीयन हुआ तथा 35 लाईसेंसों का नवीनीकरण किया गया। वर्ष 2019–20 में कोई संस्थान पंजीकृत नही हुआ तथा 22 लाईसेंसों का नवीनीकरण किया गया। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में 3 संस्थानों का पंजीयन हुआ तथा 29 लाईसेंसों का नवीनीकरण किया गया।

बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	–	–	–	–
2018–19	–	–	–	–
2019–20	–	–	–	–
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	–	–	–	–

वर्ष 2017–18 में कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ व 2 मामलों का निस्तारण किया गया, इस प्रकार अन्त में 1 मामला शेष रहा। वर्ष 2018–19 में 3 मामले प्राप्त हुए एवं 3 मामलो का निस्तारण किया गया, इस प्रकार अन्त में 1 मामला शेष रहा। वर्ष 2019–20 में कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ व शेष 1 मामले का निस्तारण किया गया, इस प्रकार अन्त में कोई मामला लम्बित नही रहा। वर्ष 2020–21 में कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

12.9 ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन सभी संस्थानों तथा ठेकेदारों पर लागू होता हैं जो 50 या इससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत उन संस्थानों में जिनमें ठेके पर काम होता हैं, ऐसे संस्थानों के मुख्य नियोजकों का पंजीयन एवं ठेकेदारों को लाईसेंस जारी किये जाते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किये हुए हैं एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त मुख्यालय को सम्पूर्ण राज्य के लिए पंजीयन एव अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर को अधिनियम की धारा 7, 8, 12 एवं 14 के प्रयोजनार्थ अपील सुनने के लिए अधिकृत किया हुआ हैं।

ठेका श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	63	–	–	–
2018–19	25	–	–	–
2019–20	82	1	2	500
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	59	7	4	2000

12.10 उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

इस अधिनियम के अनुसार उन सभी कारखानों एवं व्यावसायिक संस्थानों जिनमें 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं सेवा से त्याग–पत्र के समय यदि किसी कर्मकार ने 5 वर्ष या इससे अधिक सेवाकाल पूर्ण कर लिया हैं (लेकिन मुत्यु एंव स्थाई अपंगता के आधार पर सेवा समाप्ति के मामलों में एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर) तो उपादान के रूप में उसे प्रत्येक वर्ष के सेवाकाल के लिए 15 दिन का वेतन दिये जाने का प्रावधान हैं यह राशि 20.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार विभाग के अधिकारी, कार्याधिकार क्षेत्र में नियंत्रक अधिकारी हैं। श्रम आयुक्त तथा अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलेट प्राधिकारी हैं।इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2017–2018 में 59 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2018–2019 में 24 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2019–2020 में 21 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में 15 निरीक्षण किये गये।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपील हेतु वर्ष 2017–18 में कुल 1111 मामलों में से 184 मामलों का निस्तारण किया गया एवं अन्त में 927 मामले शेष रहे। वर्ष 2018–19 में कुल 1150 मामलों में से 114 मामलों का निस्तारण किया गया एवं अन्त में 1036 मामले शेष रहे। वर्ष 2019–20 में कुल 1137 मामलों में से 448 मामलों का निस्तारण किया गया एवं अन्त में 689 मामले शेष रहे। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में कुल 837 मामलों में से 29 मामलों का निस्तारण किया गया एवं अन्त में 808 मामले शेष रहे।

12.11 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं एवं पुरूषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने का प्रावधान सभी शिक्षण संस्थानो, अस्पताल, नर्सिंग होम्स तथा अन्य अनुसूचित नियोजनों पर लागू हैं। यदि किन्हीं श्रमिकों को समान वेतन से कम वेतन भुगतान किया जाता हैं तो वह श्रमिक स्वयं अथवा निरीक्षक के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष कम दिये गये वेतन का दावा प्रस्तुत कर सकता हैं। वर्ष 2017–2018 में 120

निरीक्षण किये गये। वर्ष 2018–2019 में 60 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2019–2020 में 66 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में 56 निरीक्षण किये गये।

12.12 विक्रय बढोतरी कामगार (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1976

यह अधिनियम वर्तमान में फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज पर ही लागू हैं। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने सभी निरीक्षकों एवं श्रम कल्याण अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में निरीक्षक नियुक्त किया हुआ हैं। मुख्यालय पर नियुक्त श्रम कल्याण अधिकारी सम्पूर्ण राज्य के लिए निरीक्षक हैं।

12.13 केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) विनियमन अधिनियम, 1979

राज्य सरकार ने इस अधिनियम को वर्ष 1981 से लागू किया हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई ठेकेदार 5 या 5 से अधिक अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार को किसी कार्य पर नियोजित करता हैं, तो इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से लाईसेंस लेना अनिवार्य हैं तथा मुख्य नियोजक को पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार वह कर्मकार हैं जो किसी दूसरे प्रान्त का रहने वाला हैं तथा ठेकेदार उसे नियोजित कर राजस्थान में कार्य करने हेतु लाया हैं या राजस्थान के बाहर कार्य करने हेतु ले गया हैं। यह अधिनियम अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्तों के संबंध में सुधार एवं लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बनाया गया हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विभाग के सभी अधिकारी अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र के पंजीयन तथा लाईसेंस जारी करनें हेतु पंजीयन एंव अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त हैं।

वर्ष 2017–2018 में 17 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2018–19 में 14 निरीक्षण किये गये। वर्ष 2019–20 में कोई निरीक्षण नही किये गये। वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) में कोई निरीक्षण नही किये गये।

12.14 कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार (सेवा की शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955

केन्द्र सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा शर्ते एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा–9 एवं 13 ग के अन्तर्गत दिनांक 24 मई, 2007 की अधिसूचनाओं द्वारा समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के वेतन की दरों के निर्धारण अथवा संशोधन के लिये दो राष्ट्रीय वेतन बोर्डो का गठन माननीय डॉ0 के0 नारायण कुरूप भूतपूर्व न्यायाधिपति की अध्यक्षता में किया गया तथा केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.02.2009 द्वारा डॉ0 के0 नारायण कुरूप के स्थान पर माननीय जस्टिस जी0आर0 मजीठिया को वेतन बोर्डो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेतन बोर्डो द्वारा की गयी सिफारिशों को केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 2011 द्वारा लागू कर दिया गया हैं।

इस अधिनियम की धारा 17–बी के अंतर्गत राज्य में श्रम विभाग के सभी निरीक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र में निरीक्षक नियुक्त किया हुआ हैं तथा अतिरिक्त श्रम आयुक्त मुख्यालय को धारा 17(1) के तहत प्राधिकारी घोषित किया गया है।

12.15 बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम सभी कारखानों एंव अन्य संस्थानो पर लागू होता हैं। अधिनियम के तहत मुख्य रूप से जोखिमपूर्ण व्यवसायों एव प्रक्रियाओ मे बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया हैं। गैर जौखिमपूर्ण कार्यो में बाल श्रमिकों के नियोजन को पूर्णरूप से प्रतिबंधित तो नही किया गया हैं लेकिन उनकी कार्य की दशाओं को विनियमित किया गया हैं।

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रवर्तन

श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पद स्थापित श्रम निरीक्षकों के माध्यम से बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु संस्थानों का निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य किया जाता हैं।

विगत तीन वर्षो में किये गये निरीक्षण एवं प्रवर्तन का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	निरीक्षण	न्यायालय में प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
2017–18	357	0	9	2000
2018–19	226	0	1	500
2019–20	553	–	–	–
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	1335	–	–	–

13. श्रम सांख्यिकी

श्रम विभाग द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियो के संबधं में अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन श्रम सांख्यिकी के तहत मुख्यालय स्तर पर किया जाता हैं। ये सूचनाऐ मासिक, त्रैमासिक अर्द्धवार्षिक एव वार्षिक रिर्टनस के रूप में केन्द्र सरकार, श्रम ब्यूरो शिमला एवं चंडीगढ तथा राज्य सरकार (आयोजना विभाग) को भेजी जाती हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर मूल्य सूचकांक की सांख्यिकी सूचना भी जारी की जाती हैं।

13.1 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राधिकारियों द्वारा निर्णीत दावे तथा अवार्ड राशि

वर्ष 2017–18

क्रं. सं.	अधिनियम का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	वर्ष में निपटाये गये मामले	वर्ष के अन्त मे शेष रहैं मामले	अवार्ड राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उपदान भुगतान अधिनियम	989	122	1111	184	927	11106406
2.	मजदूरी भुगतान अधिनियम	2714	500	3214	344	2870	30074327
3.	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	7176	1023	8199	1677*	6522	558023268
4.	न्यूनतम वेतन अधि.						
	1. कृषि नियोजन	16	10	26	10	16	0
	2. अन्य नियोजन	1264	243	1507	126	1381	3551044
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधि.	77	18	95	5	90	0
6.	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम	3	0	3	2	1	0
7.	समान पारिश्रमिक अधि.	2	0	2	0	2	0
	योग	**12241**	**1916**	**14157**	**2348**	**11809**	**602755045**

* वर्ष 2017–18 में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत श्रम न्यायालयों द्वारा निस्तारित 344 प्रकरण भी शामिल है।

वर्ष 2018–19

क्रं. सं.	अधिनियम का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	वर्ष में निपटाये गये मामले	वर्ष के अन्त मे शेष रहैं मामले	अवार्ड राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उपदान भुगतान अधिनियम	927	223	1150	114	1036	8352780
2.	मजदूरी भुगतान अधिनियम	2870	306	3176	349	2827	31648491
3.	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	6522	1204	7726	1185*	6541	348015159
4.	न्यूनतम वेतन अधि.						
	1. कृषि नियोजन	16	5	21	21	0	0
	2. अन्य नियोजन	1381	140	1521	142	1379	1063710
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधि.	90	6	96	7	89	0
6.	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम	1	3	4	3	1	0
7.	समान पारिश्रमिक अधि.	2	0	2	1	1	0
	योग	**11809**	**1887**	**13696**	**1822**	**11874**	**389080140**

* वर्ष 2018–19 में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत श्रम न्यायालयों द्वारा निस्तारित 299 प्रकरण भी शामिल है।

वर्ष 2019–20

क्रं. सं.	अधिनियम का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	वर्ष में निपटाये गये मामले	वर्ष के अन्त मे शेष रहैं मामले	अवार्ड राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उपदान भुगतान अधिनियम	987	150	1137	448	689	29611725
2.	मजदूरी भुगतान अधिनियम	2411	500	2911	561	2350	37854273
3.	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	6530	1109	7639	1359*	6280	420380914
4.	न्यूनतम वेतन अधि. 1. कृषि नियोजन 2. अन्य नियोजन	 0 1321	 0 260	 0 1581	 0 298	 0 1283	 0 8382024
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधि.	83	7	90	32	58	500000
6.	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम	1	0	1	1	0	0
7.	समान पारिश्रमिक अधि.	1	0	1	0	1	0
	योग	**11334**	**2026**	**13360**	**2699**	**10661**	**496728936**

* वर्ष 2019–20 में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत श्रम न्यायालयों द्वारा निस्तारित 385 प्रकरण भी शामिल है।

नोटः– विभिन्न श्रम अधिनियमों के वर्ष 2018–19 के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक शेष 11334 है।

वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)

क्रं. सं.	अधिनियम का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेष मामले	वर्ष में प्राप्त मामले	योग	वर्ष में निपटाये गये मामले	वर्ष के अन्त मे शेष रहैं मामले	अवार्ड राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उपदान भुगतान अधिनियम	689	148	837	29	808	2039276
2.	मजदूरी भुगतान अधिनियम	2350	223	2573	136	2437	6651962
3.	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	6280	573	6853	408*	6445	209479139
4.	न्यूनतम वेतन अधि. 1. कृषि नियोजन 2. अन्य नियोजन	 0 1283	 0 224	 0 1507	 0 94	 0 1413	 0 5124489
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधि.	58	7	65	3	62	0
6.	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम	0	0	0	0	0	0
7.	समान पारिश्रमिक अधि.	1	0	1	0	1	0
योग		**10661**	**1175**	**11836**	**670**	**11166**	**223294866**

* वर्ष 2020–21 में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत श्रम न्यायालयों द्वारा निस्तारित 54 प्रकरण भी शामिल है।

13.2 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रवर्तन की स्थिति

वर्ष 2017–18

क्र. सं.	अधिनियम	निरीक्षणों की संख्या	प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रुपयों में)
1.	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958	655	2	181	1000
2.	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	8	0	4	0
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	166	0	0	0
4.	बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966	0	0	0	0
5.	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	63	0	0	0
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	714	11	47	3500
7.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	120	0	0	0
8.	कार्यकारी पत्रकार एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	0	0	0	0
9.	विक्रय बढ़ोतरी अधिनियम, 1976	0	0	0	0
10.	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1970	17	9	0	0
11.	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	59	0	0	0
12.	बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम, 1986	357	0	9	2000
13.	1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (कृषि नियोजन)	1176	2	1	0
	2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अन्य नियोजन)	981	12	227	1800
14.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	9	0	0	0
15.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा की शर्ते का विनियमन) अधिनियम, 1996	33	12	10	20000
योग		**4358**	**48**	**479**	**28300**

वर्ष 2018–19

क्र. सं.	अधिनियम	निरीक्षणों की संख्या	प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रुपयों में)
1.	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958	488	0	0	0
2.	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	0	0	0	0
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	153	0	0	0
4.	बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966	0	0	0	0
5.	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	25	0	0	0
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	760	1	0	0
7.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	60	0	0	0
8.	कार्यकारी पत्रकार एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	0	0	0	0
9.	विक्रय बढ़ोतरी अधिनियम, 1976	0	0	0	0
10.	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1970	14	0	0	0
11.	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	24	0	0	0
12.	बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम, 1986	226	0	1	500
13.	1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (कृषि नियोजन)	1420	0	0	0
	2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अन्य नियोजन)	886	4	6	2500
14.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	0	0	0	0
15.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा की शर्ते का विनियमन) अधिनियम, 1996	420	5	3	6000
योग		**4476**	**10**	**10**	**9000**

वर्ष 2019–20

क्र. सं.	अधिनियम	निरीक्षणों की संख्या	प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रुपयों में)
1.	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958	932	8	8	2000
2.	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	14	0	0	0
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	249	2	1	500
4.	बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966	0	0	0	0
5.	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	82	1	2	500
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	1178	8	11	13500
7.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	66	0	0	0
8.	कार्यकारी पत्रकार एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	0	0	0	0
9.	विक्रय बढ़ोतरी अधिनियम, 1976	0	0	0	0
10.	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1970	0	0	0	0
11.	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	21	0	0	0
12.	बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम, 1986	553	0	0	0
13.	1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (कृषि नियोजन)	1386	0	0	0
	2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अन्य नियोजन)	1350	15	13	7400
14.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	0	0	0	0
15.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा की शर्ते का विनियमन) अधिनियम, 1996	272	15	9	16500
योग :		**6103**	**49**	**44**	**40400**

वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)

क्र. सं.	अधिनियम	निरीक्षणों की संख्या	प्रस्तुत चालान	निर्णित चालान	जुर्माने की राशि (रुपयों में)
1.	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958	269	6	5	1000
2.	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	0	0	0	0
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	124	0	0	0
4.	बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966	0	0	0	0
5.	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	59	7	4	2000
6.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	640	13	9	7000
7.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	56	0	0	0
8.	कार्यकारी पत्रकार एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	0	0	0	0
9.	विक्रय बढ़ोतरी अधिनियम, 1976	0	0	0	0
10.	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1970	0	0	0	0
11.	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	15	0	0	0
12.	बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम, 1986	1335	0	0	0
13.	1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (कृषि नियोजन)	993	0	0	0
	2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अन्य नियोजन)	754	21	18	5000
14.	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	1	0	0	0
15.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा की शर्ते का विनियमन) अधिनियम, 1996	82	1	1	300
योग :		**4328**	**48**	**37**	**15300**

13.3 Engineering Wage Consumer Price Index Number -

Government of Rajasthan

Labour Department

No.St/CPI/Eng.Wage Board/75/Pt.I/ 9019 Jaipur, dated : 19 May, 2020

NOTIFICATION

Sub: Variable Dearness Allowance payable according to the Engineering Wage Board recommendations.

The new series of Consumer Price Index Number (Base 2001=100) for industrial workers has been introduced w.e.f. January, 2006 onwards and publication of old series of Index Numbers of Base 1949/1960/1982 has been discontinued simultaneously.

As per recommendations of the Engineering Wage Board Variable Dearness Allowance is to be worked out on the basis of All India Consumer Price Index Numbers Base Year 1949=100. In absence of this series linking factor 4.63 worked out by Labour Bureau, Shimla between the 1982 and 2001, linking factor 4.93 between 1960 and 1982 and linking factor 1.2154 between 1949 and 1960 (already exist) have been taken into account to work out All India Consumer Price Index Numbers Base Year 1949=100 for period from October, 2019 to March 2020. The calculated Consumer Price Index Numbers are as under:

Month/ Year	Consumer Price Index Base 2001 intimated by Labour Bureau.	Calculated Index Numbers			
		Using 4.63 linking factor between 2001 and 1982 (Col.2x4.63)	Using 4.93 linking factor between based 1982 and 1960 (Col.3x4.93)	Using 1.2154 linking factor between 1960 and 1949 (Col.4x1.2154)	Rounded off figure of col.5 for base 1949
1	2	3	4	5	6
October,19	325	1504.75	7418.42	9016.34	9016
November,19	328	1518.64	7486.90	9099.57	9100
December,19	330	1527.90	7532.55	9155.06	9155
January, 20	330	1527.90	7532.55	9155.06	9155
February, 20	328	1518.64	7486.90	9099.57	9100
March, 20	326	1509.38	7441.24	9044.09	9044
Average for the period from October, 2019 to March 2020					54570 ÷ 6= 9094.95 or **9095**

Previous average for the period April, 2019 to September 2019 was 8799 points and average for the period from, October, 2019 to March 2020 is 9095. Thus there is an increase of 296 points in the average indices for the period under review as compared to the previous period.

Sd/-
(Prateek Jhajharia)
Labour Commissioner
Rajasthan, Jaipur.

Government of Rajasthan

Labour Department

No.St/CPI/Eng.Wage Board/75/Pt.I/ 3047 Jaipur, dated : 03 Feb, 2021

NOTIFICATION

Sub: Variable Dearness Allowance payable according to the Engineering Wage Board recommendations.

The new series of Consumer Price Index Number (Base 2016=100) for industrial workers has been introduced w.e.f. September, 2020 onwards and publication of old series of Index Numbers of Base 1949/1960/1982/2001 has been discontinued simultaneously.

As per recommendations of the Engineering Wage Board Variable Dearness Allowance is to be worked out on the basis of All India Consumer Price Index Numbers Base Year 1949=100. In absence of this series linking factor 2.88 worked out by Labour Bureau, Shimla between the 2001 and 2016, linking factor 4.63 between the 1982 and 2001, linking factor 4.93 between 1960 and 1982 and linking factor 1.2154 between 1949 and 1960 (already exist) have been taken into account to work out All India Consumer Price Index Numbers Base Year 1949=100 for period from April, 2020 to September 2020. The calculated Consumer Price Index Numbers are as under:

Month/ Year	Consumer Price Index Base 2001/2016 intimated by Labour Bureau.		Calculated Index Numbers			
		Using 2.88 linking factor between 2016 and 2001(Col.2x2.88) only sept.2020	Using 4.63 linking factor between 2001 and 1982 (Col.2x4.63) april2020 to Aug.2020	Using 4.93 linking factor between based 1982 and 1960 (Col.4x4.93)	Using 1.2154 linking factor between 1960 and 1949 (Col.5x1.2154)	Rounded off figure of col.5 for base 1949
1	2	3	4	5	6	7
April,2020	329	-	1523.27	7509.72	9127.32	9127
May, 2020	330	-	1527.90	7532.55	9155.06	9155
June, 2020	332	-	1537.16	7578.20	9210.54	9211
July, 2020	336	-	1555.68	7669.50	9321.51	9322
Aug, 2020	338	-	1564.94	7715.15	9377.00	9377
Sept, 2020	118.1	340.13	1574.79	7763.73	9436.03	9436
	Average for the period from April, 2020 to September, 2020					55628 ÷ 6 = 9271.33 or 9271

Previous average for the period October, 2019 to March 2020 was 9095 points and average for the period from, April, 2020 to September, 2020 is 9271 Thus there is an increase of 176 points in the average indices for the period under review as compared to the previous period.

Sd/-
(Prateek Jhajharia)
Labour Commissioner
Rajasthan, Jaipur

13.4 औद्योगिक श्रमिको के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक –

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकःएफ.7(सी.पी.आई.)अजमेर/जयपुर/पार्ट–II/2004/4654 जयपुर, दिनांक : 14.2.2020

परिपत्र

श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, शिमला ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए जनवरी 2001 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला 2001=100 के सूचकांक प्रेषित करना चालू किया है व पुरानी श्रृंखला के आधार वर्ष 1982=100 बंद कर दी है। साथ ही भीलवाडा केन्द्र को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है।

आधार वर्ष 2001 के सूचकांक को 1982 एवं 1960 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए अजमेर केन्द्र के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.78 एवं 5.01 तथा जयपुर केन्द्र के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.25 एवं 5.17 सूचित किया है, जिसके अनुसार अजमेर, जयपुर केन्द्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जुलाई, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक निम्न प्रकार है :–

माह का नाम	सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 श्रृंखला		परिवर्तित सूचकांक 1982=100		परिवर्तित सूचकांक 1960=100	
	अजमेर केन्द्र	जयपुर केन्द्र	अजमेर केन्द्र (कॉलम 2X4.78)	जयपुर केन्द्र (कॉलम 3X4.25)	अजमेर केन्द्र (कॉलम 4X5.01)	जयपुर केन्द्र (कॉलम 5X5.17)
1	2	3	4	5	6	7
जुलाई, 2019	294	320	1405.32	1360.00	7040.65	7031.20
अगस्त, 2019	295	322	1410.10	1368.50	7064.60	7075.15
सितम्बर, 2019	299	324	1429.22	1377.00	7160.39	7119.09
अक्टूबर, 2019	297	327	1419.66	1389.75	7112.50	7185.00
नवम्बर, 2019	297	325	1419.66	1381.25	7112.50	7141.06
दिसम्बर, 2019	300	326	1434.00	1385.50	7184.34	7163.04
6 माह का औसत इकजाई	85389.52 ÷ 12 = 7115.79 या 7116					

उक्त दोनों स्थानों का पिछले 6 माहों का जनवरी, 2019 से जून 2019 तक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6760 था एवं चालू माहों का जुलाई, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक का औसत 7116 है।

अतः इन 6 माहों के दौरान इन केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में 356 अंक की वृद्धि हुई है।

ह0/–
(प्रतीक झाझडिया)
श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकःएफ.7(सी.पी.आई.)अजमेर/जयपुर/पार्ट–II/2004/15114 जयपुर, दिनांक : 10.8.2020

परिपत्र

श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, शिमला ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए जनवरी 2001 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला 2001=100 के सूचकांक प्रेषित करना चालू किया है व पुरानी श्रृंखला के आधार वर्ष 1982=100 बंद कर दी है। साथ ही भीलवाडा केन्द्र को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है।

आधार वर्ष 2001 के सूचकांक को 1982 एंव 1960 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए अजमेर केन्द्र के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.78 एवं 5.01 तथा जयपुर केन्द्र के लिए लिंकिंग फैक्टर 4.25 एवं 5.17 सूचित किया है, जिसके अनुसार अजमेर, जयपुर केन्द्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी, 2020 से माह जून, 2020 तक निम्न प्रकार है :–

माह का नाम	सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 श्रृंखला		परिवर्तित सूचकांक 1982=100		परिवर्तित सूचकांक 1960=100	
	अजमेर केन्द्र	जयपुर केन्द्र	अजमेर केन्द्र (कॉलम 2X4.78)	जयपुर केन्द्र (कॉलम 3X4.25)	अजमेर केन्द्र (कॉलम 4X5.01)	जयपुर केन्द्र (कॉलम 5X5.17)
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी, 2020	299	326	1429.22	1385.50	7160.39	7163.04
फरवरी, 2020	299	324	1429.22	1377.00	7160.39	7119.09
मार्च, 2020	299	325	1429.22	1381.25	7160.39	7141.06
अप्रैल, 2020	299	326	1429.22	1385.50	7160.39	7163.04
मई, 2020	299	323	1429.22	1372.75	7160.39	7097.12
जून, 2020	300	324	1434.00	1377.00	7184.34	7119.09
6 माह का औसत इकजाई 85788.73 ÷ 12 = 7149.06 या 7149						

उक्त दोनों स्थानों का पिछले 6 माहों का जुलाई, 2019 से दिसम्बर,2019 तक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7116 था एवं चालू माहों का जनवरी, 2020 से जून 2020 तक का औसत 7149 है।

अतः इन 6 माहों के दौरान इन केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में 33 अंक की वृद्धि हुई है।

ह0/–
(प्रतीक झाझडिया)
श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

14. बजट एवं विभागीय आय

श्रम विभाग द्वारा कुछ श्रम अधिनियमों के तहत पंजीयन एंव नवीनीकरण का कार्य भी किया जाता हैं जिसके तहत राजस्व आय प्राप्त होती हैं जैसे–राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, श्रमिक संघ अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, बीडी श्रमिक अधिनियम, आदि। राज्य सरकार द्वारा फीस राशि जमा कराने हेतु ई–ग्रास कम्प्यूटर आधारित व्यवस्था की हुई है।

14.1 विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

मद	बजट प्रावधान 2020–21	व्यय 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)
1	2	3
राज्य योजना	60.85	24.91
योजना के अतिरिक्त *	53432.45	2271.59
योग	**53493.30**	**2296.50**

नोट– * योजना के अतिरिक्त में अंकित बजट प्रावधान में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के बजट प्रावधान 50000.00 लाख रूपये के विरूद्ध 41281.86 लाख रूपये मण्डल के पी0डी0 खाते में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

14.2 विभागीय आय

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत संस्थानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण में गत तीन वर्षों में विभाग में हुई आय का विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

(राशि लाखों में)

आय शीर्षक	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)
1475–दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि.	400.62	327.20	674.70	581.72
0216–औद्योगिक आवास योजना (किराया)	1.34	0.22	0.07	7.85
0230– श्रमिक संघ, ठेका श्रमिक, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम एवं विविध	343.68	574.52	188.19	148.80
योग	**745.64**	**901.94**	**862.96**	**738.37**

विभाग का वेब पोर्टल

लेबर डिपार्टमेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम (एल डी एम एस)

''लेबर डिपार्टमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम'' **(एल डी एम एस)** केन्द्रीकृत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा नागरिकों, संस्थानों एवं विभागीय कर्मचारियों को श्रम विभाग से जुडे विभिन्न श्रम अधिनियमों में संस्थानों का पंजीयन, नवीनीकरण एवं लाईसेंस प्रदान किये जाने, भवन एवं सन्निर्माण कामगार अधिनियम एवं विभाग की अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थी के पंजीयन के अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्रदान किये जाने हेतु तैयार किये गये है। एल डी एम एस का लोकार्पण (गो– लाईव) दिनांक 13.03.2015 को किया गया।

एल डी एम एस का उद्देश्य एवं इससे जुडी सुविधाएँ

1. दक्षता में सुधार।
2. पारदर्शिता, जवाबदेही।
3. आन्तरिक प्रक्रिया में गति लाना।
4. बेहतर सेवा प्रदान करना।
5. श्रम कानूनों के तहत पंजीकरण, नवीनीकरण एवं लाईसेंस की ऑनलाइन सुविधा।
6. विभाग से जुडे कार्य यथा निरीक्षण रिपोर्ट, रिटर्न भरने की सुविधा।
7. अर्द्धन्यायिक एवं औद्योगिक विवाद का निस्तारण।

एल डी एम एस पर उपलब्ध मॉड्यूल

1. **पंजीकरण मॉड्यूल** : इस मॉड्यूल द्वारा निम्न अधिनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाण–पत्र/लाईसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
    - बीडी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966
    - ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम–ठेकेदार 1970
    - ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम–प्रमुख नियोजक 1970
    - ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम–प्रमुख नियोजक (अस्थाई)
    - मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
    - केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1979 (ठेकेदार)
    - केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1979 (प्रमुख नियोजक)
    - राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958
    - भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

2. **स्थाई आदेश मॉड्यूल** : औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम के तहत स्थायी आदेश प्रमाणिकरण के लिये ऑनलाइन आवेदन।

3. **रिटर्न दाखिल मॉड्यूल** : विभिन्न अधिनियमों के तहत ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा
   - ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
   - मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
   - बीडी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966
   - केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979
   - मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
   - श्रम संघ अधिनियम, 1926

4 **अर्द्ध न्यायिक और रिकवरी मॉड्यूल** : विभिन्न अधिनियमों के तहत औद्योगिक विवाद एवं अर्द्ध न्यायिक दावों को ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा निम्नांकित अधिनियमों में प्रदान की जाती है:—
   - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
   - कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
   - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
   - उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
   - मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
   - राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958

5. **शिकायत और औद्योगिक विवाद मॉड्यूल**: जनरल और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज करने की सुविधा।

6. **बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड मॉड्यूल** : लाभार्थी पंजीयन के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं विभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये आईडी कार्ड प्रदान करने की सुविधा। लाभार्थी ऑनलाइन विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते है।

7. **बीओसीडब्ल्यू उपकर मॉड्यूल** : परियोजना पंजीकरण और उपकर राशि की ऑनलाइन जमा करने की सुविधा

8. **बीएफएमएस :—** बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम

9. **थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन** :— मध्यम जोखिम वाले संस्थानों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

10. **सैल्फ सर्टिफिकेशन** :— निम्न जोखिम वाले संस्थानों के लिए सैल्फ सर्टिफिकेशन की ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

11 **LDMS Moblie App:–**विभाग एवं बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ के आवेदन, प्रस्तुत आवेदनों की स्थिती जानने, बीओसीडब्ल्यू योजनाओ की जानकारी एवं आवेदन सम्बंधी शिकायत करने आदि की सुविधा उपलब्ध है।

एल डी एम एस से नागरिकों कों लाभ

1. ऑनलाइन आवेदन की स्थिति (Status) पर नजर।
2. आवेदन करने एवं स्थिति की जानकारी के लिए कार्यालय में बार बार आने जाने से मुक्ति।
3. सूचना के प्रसार के लिए नियमित रूप से ईमेल, एसएमएस से नागरिक को सुविधा।
4. फीस और उपकर का ऑनलाइन भुगतान।
5. First In First Out की अवधारणा।
6. लाईसेंस और पंजीकरण प्रमाण–पत्र डाउनलोड करने की सुविधा।
7. Single Sign On (SSO) से LDMS में लॉगइन की सुविधा।

एल डी एम एस पर आवेदन कैसे करें:–

1. स्वयं http://sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से।
2. ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान कर आवेदन कर सकते है।

एल डी एम एस में आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदक http://sso.rajasthan.gov.in पर अपना लोगइन आई डी बनाकर लॉगइन करे।

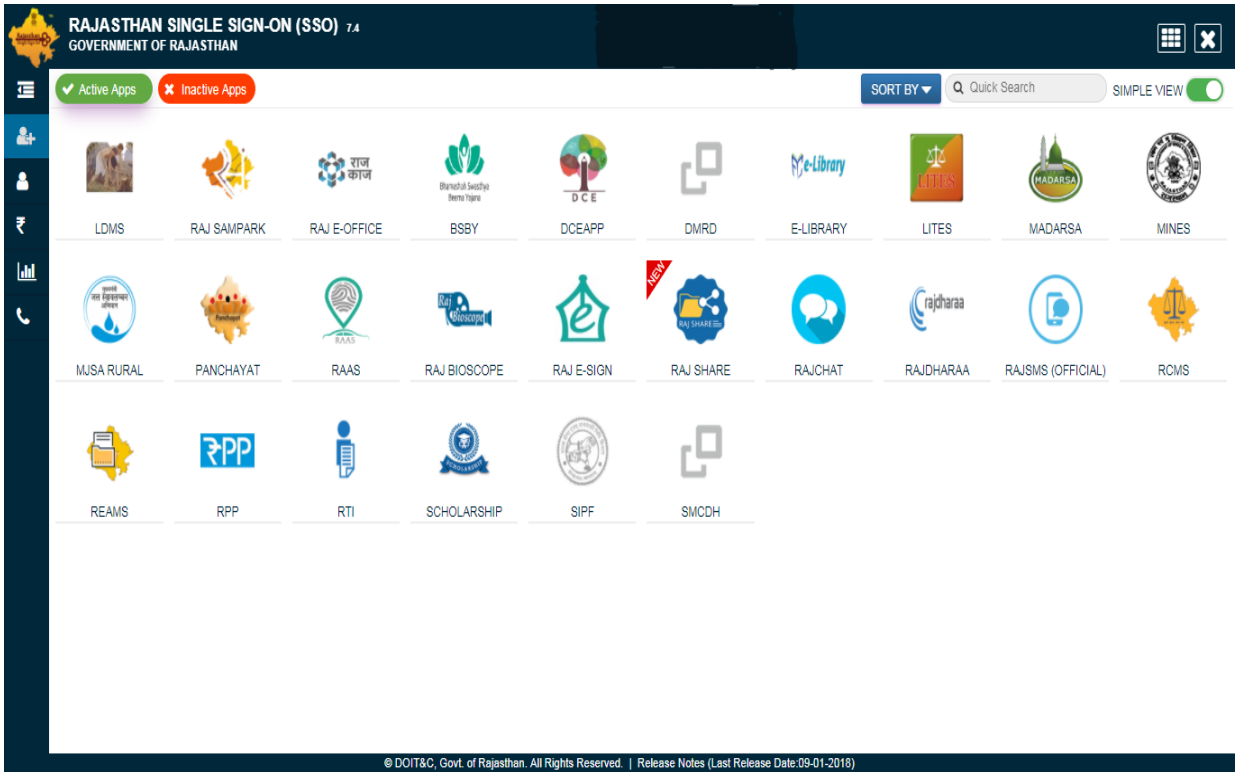

लॉगइन के पश्चात् LDMS के आईकन पर क्लिक करे। क्लिक करने पर नीचे दी गई स्क्रीन खुल जायेगी।

आवेदक द्वारा की जानी वाली समस्त गतिविधियां स्क्रीन के बाएं तरफ के मेनु में दी गई है। आवेदन करने पर आवेदन की प्रगति एवं कमी की सूचना एसएमएस एवं मेल द्वारा भेजी जाती है।

एल डी एम एस पर फीस का भुगतान

एल डी एम एस पर आवेदन करने पर फीस का भुगतान ऑनलाईन अथवा ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से जमा कराया जा सकता है।

ई–मित्र शुल्क–

क्र .सं .	आवेदन का प्रकार	शुल्क
1.	रजिस्ट्रेशन / संशोधन / नवीनीकरण / बीओसीडब्ल्यू की विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने के लिए इसमें ई–मित्र केन्द्र द्वारा आवेदन में भरे जाने वाली सूचना का इन्द्राज करेगा एवं आवश्यक दस्तावेजों को (फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किरायानामा, फोटो आदि) स्कैन करेगा	50 / –
2.	संशोधन / नवीनीकरण / बीओसीडब्ल्यू की विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने के लिए इसमें ई–मित्र केन्द्र द्वारा आवेदन में भरे जाने वाली सूचना का इन्द्राज	50 / –
3.	प्रमाण पत्र या लाभार्थी कार्ड का प्रिन्ट आउट (Black and white)	10 / –

LDMS पर प्राप्त प्रकरण (31.12.2020 तक):–

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन :– **1.65 लाख**
- भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्ड़ल के तहत हिताधिकारी पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन :– **41.35 लाख**
- विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं बीओसीडब्ल्यू के तहत निस्तारित आवेदनः– **32.61 लाख**

LDMS की अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाईट www.labour.rajasthan.gov.in पर विजिट करे, किसी भी तरह की समस्याओं के निदान हेतु labour.support@rajasthan.gov.in पर ई–मेल किया जा सकता है।

प्रतिक्रिया फार्म (Feedback Form):–आवेदको को एलडीएमएस पर दी गई सुविधा की गुणवत्ता को जांचने हेतु एक प्रतिक्रिया फार्म आवेदको को उपलब्ध कराया जाता है। दिसम्बर, 2020 तक लगभग 2.78 लाख से अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 73.49 प्रतिशत आवेदको द्वारा अतिउत्कृष्ट की प्रतिक्रिया दी गई है।

नवाचार

मोबाइल एप का शुभारम्भ

- श्रमिकों को उनके द्वारा किये गए पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदनों के निस्तारण की वस्तुस्थिति सुगमता से मोबाईल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मोबाइल एप का शुभारम्भ दिनांक 09.11.2020 से किया गया है। श्रमिक द्वारा अपने कोई सुझाव अथवा परेशानी/शिकायत को भी इस मोबाईल एप के द्वारा विभाग तक पहुंचाया जा सकता हैं।

  इसके प्रत्यक्ष लाभः

  श्रमिक बिना ई–मित्र या श्रम विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाये अपने मोबाईल से ही जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकेगा।

उपकर नोटिस ऑनलाईन जारी किये जाने की प्रक्रिया का शुभारम्भ

- श्रम विभाग द्वारा उपकर (लेबर सैस) संग्रहण में पारदर्शिता लाने हेतु एक ई–प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके द्वारा सभी उपकर नोटिस अब ऑनलाईन विभागीय पोर्टल LDMS के माध्यम से जारी किए जायेंगे। इस तरह की व्यवस्था को लागू करने से विभाग में उपकर संग्रहण को प्रभावी तरीके से बढाया जा सकेगा। इस सिस्टम से उपकर संग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है साथ ही इसके

द्वारा विभाग के अधिकारियों में उत्तरदायित्व का समावेश होगा। नोटिस जारी करने की सूचना सम्बन्धित को मोबाईल SMS अथवा ईमेल के द्वारा प्रेषित की जा सकेंगी।

इसके प्रत्यक्ष लाभः–

1. लेबर सैस नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का समावेश होगा।
2. मुख्यालय स्तर पर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग संभव होगी।

निःशुल्क हैल्प लाईन सेवा "लेबर लाईन" 1800–1800–999

श्रमिकों को जानकारी और जरूरत में परामर्श हेतु विभाग की सहभागिता से संचालित टोल–फ्री हैल्प लाईन सेवा "लेबर लाईन" 1800–1800–999 दिनांक 04.12.2015 से प्रारम्भ की गई।

उपलब्ध सेवाऐं

- बी.ओ.सी.डब्ल्यू द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी
- ऑनलाइन पंजीयन की जानकारी
- मजदूरी के बकाया भुगतान तथा श्रमिकों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श व सहायता
- प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों को वांछित परामर्श व जानकारी

ईओडीबी (इज ऑफ डूइंग बिजनिस)

राज्य में औद्योगिक निवेश को बढावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा सभी राज्यों में विभिन्न विभागों के कार्यो को ऑनलाइन किया जाकर उपयोग में लेने हेतु एक 80 बिंदुओ का बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2019 बनाया गया। जिसके प्रत्येक बिन्दु के सफल क्रियान्वयन एवं उपयोग में लेने के आधार पर राज्यों की रैकिंग की गई। यहां उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग के लिए निर्धारित 11 बिंदुओ में विभाग द्वारा सभी 11 बिंदुओं की क्रियान्विति कर दी गई। State Business Reform Action Plan- 2020 में श्रम विभाग से सम्बन्धित 39 बिन्दुओं में से 38 की पालना हो चुकी है। एक बिन्दु श्रम विभाग व स्वायत शासन विभाग का संयुक्त रूप से हैं जिसमें श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।

उद्योगो को सुविधा प्रदान करने संबंधी अन्य बिन्दू

1. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देन के उद्देश्य से बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (BRAP) के अन्तर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के पंजीयन के पश्चात् बार बार नवीनीकरण कराने में हो रही परेशानी को देखते हुये नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26–11–2019 जारी कर नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त करदी गई है तथा सभी संस्थानों का एक मुश्त पंजीयन किया जायेगा।

2. बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (BRAP) 2020 के तहत सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत ठेकेदारों का लाईसेन्स का नवीनीकरण बिना कोई अतिरिक्त दस्तावेज लिये, केवल निर्धारित शुल्क जमा कराया जाकर ऑटो रिन्यूवल की व्यवस्था विभाग के ऑनलाईन सिस्टम पर लागू कर दी गई है।

3. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 9 मई, 2020 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन कर महिला कर्मचारियों को धारा– 22 के अंतर्गत रात्रि में कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गई है। छूट प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि रात्रि में कार्य करते समय उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व एवं घर से कार्यस्थल लाने–ले जाने का दायित्व नियोजक का रहेगा।

4. अधिसूचना दिनांक 9 मई, 2020 के द्वारा बडे शहरों में लगातार शॉपिंग माल्स स्थापित होने एवं उनकी व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुये रात्रि में निर्धारित समय के पश्चात् शॉपिंग माल्स खोलने एवं अवकाश के दिनों में खोलने के प्रावधानों में छूट प्रदान की गई है। इस हेतु नियोजक को कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं – कार्य के घण्टे, साप्ताहिक अवकाश आदि का पूरा ध्यान रखने की शर्त पर यह सुविधा प्राप्त होगी।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ 8(1)रा.मे.से.रि./आई.आर./श्रम/01/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 09.11.2020

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (XI of 1948), की धारा–13 की उपधारा 1 के क्लॉज (a) सपठित विक्रय संवर्धन (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 (XI of 1976), की धारा–6 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान राज्य के दवा क्षेत्र के विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य के घण्टे निर्धारित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2020 जिसका प्रकरण दिनांक 01.10.2020 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) में हुआ है, के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किये जाने के पश्चात राज्य सरकार नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राज्य के दवा विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए कार्य के घण्टे निम्नानुसार निर्धारित करती हैः–

कार्य के घण्टे

प्रातः 10:00 से शाम 4:00 बजे तक तथा शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे तक (जिसमें प्रातः 10:00 से 11:00 एक घण्टा तैयारी व लिखित कार्य के लिए व 3:00 से 4:00 एक घण्टा भोजन अवकाश)	नगर निगम क्षेत्र जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज), जोधपुर(उत्तर/दक्षिण), कोटा(उत्तर/दक्षिण), उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर व नगर परिषद क्षेत्र अलवर।
प्रातः 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (जिसमें प्रातः 11:00 से 12:00 एक घण्टा तैयारी व लिखित कार्य के लिए व 3:00 से 4:00 एक घण्टा भोजन अवकाश)	राजस्थान के उपरोक्त नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में।

राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।

क्रमांक एफ 8(1)रा.मे.से.रि./आई.आर./श्रम/01/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 09.11.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को साधारण राज पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राज0, जयपुर।
5. संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) आई.टी सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करें।
7. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ 14(13)(41)श्रम/विधि/87/पार्ट–I जयपुर दिनांक 27.08.2020

अधिसूचना

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–14) की धारा–7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)(18)श्रम/78 दिनांक 07.09.1978 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.13(41)श्रम/87 दिनांक 27.02.1991 के क्रम में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.08.1991 में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन

(1) क्रम संख्या–6 पर लिखे श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाडा के कार्यक्षेत्र के कॉलम में भीलवाडा, चित्तौडगढ जिले के साथ प्रतापगढ जिला शब्द ओर जोडा जाता है।

राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।

क्रमांक एफ 14(13)(41)श्रम/विधि/87/पार्ट–I जयपुर दिनांक 27.08.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. न्यायाधीश, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण .....(समस्त)।
4. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राज0, जयपुर।
5. अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मु0) अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई0आर0)/संयुक्त/उप श्रम आयुक्त (विधि) मुख्यालय।
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) आई.टी सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करें।
7. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी.....।
8. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ 14 (13)(7)/श्रम/विधि/2009 जयपुर, दिनांक 15.06.2020

अधिसूचना

भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996) का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–28) की धारा–5 के प्रयोजनार्थ सपठित भवन एवम अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम–2 के खण्ड (जी) के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपकर निर्धारण के लिए पूर्व में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र भाग–1 (क) दिनांक 4.10.2016 को हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

संशोधन

क्रम संख्या–04 के पश्चात् क्रम संख्या–5 पर निम्नानुसार वर्णित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए एतद् द्वारा "निर्धारण अधिकारी" (Assessing officer) विवरण सम्मलित किया जाता हैः–

क्रम संख्या	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है
1	2	3
5	समस्त उपश्रम आयुक्त, जयपुर रीजन जयपुर	जयपुर जिला

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवम पदेन
संयुक्त शासन सचिव
राज. जयपुर

क्रमांकः एफ 14 (13)(7)/श्रम/विधि/2009 जयपुर, दिनांक 15.06.2020

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राज–पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, अधिकारी/ श्रम कल्याण अधिकारी समस्त।
3. उपनिदेशक, (ACP) आई.टी सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या–1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करें।
4. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवम पदेन
संयुक्त शासन सचिव
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 जयपुर, दिनांकः 09.05.2020

अधिसूचना

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधानों से (दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान को सप्ताह में एक दिन बन्द रखने के प्रावधान से), इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती हैः–

1. नियोजक द्वारा सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन, बारी–बारी से, सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा।
2. नियोजित कर्मचारियो के कार्य के घण्टे प्रतिदिन 9 घण्टे तथा साप्ताहिक 48 घण्टे होंगे। यदि कर्मचारियों से निर्धारित कार्य समयावधि से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसका रिकार्ड पृथक से संधारित किया जावेगा।
3. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी से अधिसमय कार्य करवाये जाने पर मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
4. सभी नियोजित कर्मचारियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जावेगा तथा उसकी प्रति क्षेत्र के निरीक्षक को प्रेषित की जावेगी एवं इसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड में रखी जावेगी।
5. यह छूट केवल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के लिए है, कर्मचारी अधिनियम की समस्त धाराओं के तहत देय लाभों को प्राप्त करते रहेंगे।
6. यह छूट उपरोक्त शर्तो की नियोजक द्वारा अनुपालना किये जाने तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।
7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 जयपुर, दिनांकः 09.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0)/(औद्योगिक संबंध), मुख्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी(समस्त)
6. उप निदेशक (ACP) I.T CELL मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का क्र.सं. का 1 में वर्णित विभाग से प्रकाशन करावें।
7. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 जयपुर, दिनांकः 09.05.2020

अधिसूचना

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों से, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती हैः–

1. महिला कर्मचारी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही नियोजक द्वारा रात्रिकाल में नियोजित करने के लिए अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. सभी महिला कर्मियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र एवं फोटो सहित पहचान पत्र जारी किये जाएंगे।
3. महिला कर्मचारियों के रात्रि में कार्य करने की स्थिति में उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व नियोजक का होगा तथा महिला कर्मचारियों को रात्रि में घर से कार्यस्थल तक आने व वापिस जाने के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. कार्य स्थल पर महिला कर्मियों के लिए पृथक विश्राम गृह व सामान रखने के लिए लोकर (Locker) उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. किसी गर्भवती महिला को उसकी सम्भावित प्रसूति तिथि से 3 माह पूर्व तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात् 3 माह की अवधि में रात्रि में कार्य पर नहीं बुलाया जाएगा।
6. नियोजक द्वारा कार्यस्थल में सम्भावित यौन उत्पीडन के कृत्य या घटना होने की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. जिन दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजक स्वयं महिला हो तथा स्वयं महिला द्वारा ही संचालित किया जाता हो और उसमें नियोजित सभी कर्मचारी महिलायें हो, उन संस्थानों के लिए छूट की अवधि 4 वर्ष होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(पतंजलि भू)

अति0 श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 जयपुर, दिनांकः 09.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0)/(औद्योगिक संबंध), मुख्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी(समस्त)
6. उप निदेशक (ACP) I.T CELL मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का क्र.सं. का 1 में वर्णित विभाग से प्रकाशन करावें।
7. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः– एफ.14(11)(7)श्रम/2001/पार्ट–II जयपुर, दिनांकः–20.03.2020

अधिसूचना

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या–31, सन् 1958) की धारा 1 की उपधारा (5) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2015 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 24 जुलाई, 2015 में हुआ है, के अनुसरण में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार लालसोट (दौसा) में उक्त अधिनियम की धारा–8 तथा 12 के प्रावधान लागू करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सी0बी0एस0 राठौड)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.14(11)(7)श्रम/2001/पार्ट–II जयपुर, दिनांकः– 20.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक (ए0सी0पी0) आई0टी0 सेल, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या–1 के अनुसार कराने का श्रम करें।
5. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त (समस्त).....।
6. श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त).....।
7. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985 जयपुर, दिनांकः 12.10.2020

अधिसूचना

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–14) की धारा– 2 एन (अप) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ **"ट्रांसपोर्ट (अदर देन रेल्वेज) फार दी कैरिज ऑफ पैसेन्जर्स एण्ड गुडस बाई रोड"** के कार्यो को दिनांक 21.10.2020 से 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.14(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985 जयपुर, दिनांकः 12.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक (ए0सी0पी0) आई.टी.सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में क्रम संख्या–1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करें।
4. कार्यकारी निदेशक, (प्रशासन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर को पत्रांक एफ.164/मु0/श्रम/सामा.11/2020/440 दिनांक 06.10.2020 के क्रम में।
5. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.14(1)(1)श्रम/67 पार्ट–III जयपुर दिनांक 11.01.2021

अधिसूचना

राजस्थान दूकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम–1959 की धारा 10(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम आयुक्त राजस्थान एतद द्वारा इस विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में प्रसारित अधिसूचना को अधिष्ठित करते हुए निम्न लिखित अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित क्षेत्रो के लिए श्रम निरीक्षक द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन, नवीनीकरण अथवा संशोधन हेतु किये जाने वाले आवेदनों को निरस्त करने की स्थिति में अपीलीय अधिकारी नियुक्त करती है:–

क्र. सं.	अधिकारी	क्षैत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया
1.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, जयपुर	जिला जयपुर
2.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, अजमेर	जिला अजमेर (ब्यावर उपखण्ड को छोडकर)
3.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, जौधपुर	जिला जौधपुर
4.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, उदयपुर	जिला उदयपुर
5.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, कोटा	जिला कोटा
6.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर	जिला भरतपुर
7.	संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर	जिला बीकानेर
8.	उप श्रम आयुक्त,अलवर	जिला अलवर

9.	उप श्रम आयुक्त,भीलवाडा	जिला भीलवाडा
10.	उप श्रम आयुक्त,चित्तौडगढ	जिला चित्तौडगढ
11.	उप श्रम आयुक्त,श्रीगंगानगर	जिला श्रीगंगानगर
12.	उप श्रम आयुक्त,पाली	जिला पाली
13.	सहायक श्रम आयुक्त, बासंवाडा	जिला बासंवाडा
14.	सहायक श्रम आयुक्त, नागौर	जिला नागौर
15.	सहायक श्रम आयुक्त, स0माधोपुर	जिला स0माधोपुर
16.	सहायक श्रम आयुक्त, सीकर	जिला सीकर
17.	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	जिला बालोतरा
18.	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	जिला टोंक
19.	श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही	जिला सिरोही
20.	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर उपखण्ड	ब्यावर उपखण्ड जिला अजमेर
21.	श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा	जिला बांरा
22.	श्रम कल्याण अधिकारी, बूंदी	जिला बूंदी
23.	श्रम कल्याण अधिकारी, चुरू	जिला चुरू
24.	श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा	जिला दौसा
25.	श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर	जिला धौलपुर
26.	श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर
27.	श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	जिला हनुमानगढ
28.	श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर	जिला जालौर
29.	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड	जिला झालावाड

30.	श्रम कल्याण अधिकारी, झुंझुनूं	जिला झुंझुनूं
31.	श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमंद	जिला राजसमंद
32.	श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ
33.	श्रम कल्याण अधिकारी, करौली	जिला करौली
34.	श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर	जिला जैसलमेर

उक्त अधिसूचना में जिले में कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगें। वरिष्ठतम अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उससे कनिष्ठ अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगें।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.14(1)(1)श्रम/67 पार्ट–ष्ष् जयपुर दिनांक 11.01.2021

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0)।
3. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, (समस्त)।
4. उप निदेशक (ए.सी.पी.) आई.टी.सैल मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से करवाने का श्रम करें।
5. गार्ड पत्रावली।

ह0/–
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।

TELEPHONE DIRECTORY (Labour Deptt.)

(Secretariat level)

S. No.	Designation	Name	Office Direct/ EPBAX Ext.	Residence/ Mobile	STD Code	E-Mail Id
1.	Hon'ble State Labour Minister (IC)	Sh. Tika Ram Jully	R.N. 6021 MB Ground Floor 2227402	7014164477 9414490242	0141	Stateministerlabour6021@gmail.com
2.	SA to S LM	Sh. N.K. Bansal	2227402	9413364322	0141	Stateministerlabour6021@gmail.com
3.	SO to SLM	Sh. Nirbhay Giri	2227402	9829098017	0141	Stateministerlabour6021@gmail.com
4.	Secretary (L&E)	Dr. Niraj Kumar Pawan	2227807	9414119911	0141	Secretary.skills.labour@rajasthan.gov.in
5.	Jt. Secretary (L&E)	Sh. Dinesh Kumar Jangid (Add. Charge)	2227580	9660381111	0141	sotosrds@gmail.com
6.	D.L.R. (L&E)	Sh. Vijay Jain	5153222-25 (2404)	9414461538	0141	
7.	Dy. Sec.(L&E)	Sh. R.C. Bansal	IP (24923)	9413417895	0141	sotosrds@gmail.com

(Headquarter, Jaipur)

(PABX-0141-2450783, Tele-Fax- 0141-2450782)

(Email ID: lab-comm-rj@nic.in Website: www.labour.rajasthan.gov.in)

1.	Labour Commissioner	Sh.Prateek Jhajharia	2450781 2450783 (101)	7906316181	0141	lab-comm-rj@nic.in
2.	P.S. to LC	Sh.Suresh Chand Sharma	2450781 2450783 (113)	9928357851	0141	pstolclabour@gmail.com
3.	Addl. LC (HQ)	Sh. Patanjali Bhu	2450782 2450783 (103)	9414166766	0141	drs.adlchq@gmail.com
4.	APS to Addl. LC (HQ)	Sh.Kedar Mal Gupta	2450782 2450783 (104)	9414778867	0141	
5.	Addl. LC (IR)	Sh. G.P.Kukreti	2450780 2450783 (105)	9413855249	0141	lab-alcir-rj@nic.in
6.	Add.LC & Jt. Secy. (BOCW, Board)	Sh. Rajeev Kishore Saxena	2222961/ 2222161	9829184016	0141	bocw.raj@gmail.com bocw@rajasthan.gov.in

7.	Jt. LC (Law)	Sh. Anupam Gaur	2450783 (107)	9351314767	0141	lab-jlc-law-rj@nic.in
8.	C.A.O (HQ)	Smt. Vandana Meena	2450784 2450783 (114)	7737200219	0141	lab-aohq-rj@nic.in
9.	Dy. LC (Prosecution)	Sh. Rajiv K. Saxena (Addl. Charge)	2450780 2450783 (102)	9829184016	0141	lab-dlcir-rj@nic.in
10.	Dy. LC (Adm)	Sh. Santosh Prasad Sharma (Addl.Charge)	2221481 2450783 (111)	9414796399	0141	lab-dlcadm-rj@nic.in
11.	Dy. LC (Law)	Sh.Umesh Raika, LI (Work Arrangement)	2450783 (109)	9468546751	0141	labourchildbonded@ gmail.com
12.	A.C.P. (DD)	Sh. Kuldeep Yadav	2450783(124)	9001143000	0141	itcell.labour@rajasthan. gov.in
13.	AD (Statistics)	Sh.Mahendra Kumar Hawa	2450783(120)	9828299202	0141	lab-adsta-rj@nic.in labouradstatistics@ gmail.com
14.	Asstt. LC (Litigation)	Sh. Anupam Gaur (Addl.Charge)	2450783 (108)	9351314767	0141	lab-alcliti-rj@nic.in
15.	Asstt. LC (IR)	Dr.Kritika Yadav, LI (Addl. Charge)	2450783 (108)	9413842244	0141	lab-asstir-rj@nic.in
16.	PRO (Vacant)	Sh.	2450783-84		0141	
17.	LWO (Law)	Shamita Jain	2450783 (106)	7737281033	0141	shamitajain9@gmail.com
18.	Programmer	Madhu Bala Jain	2450783 (124)	9461663577	0141	Madhujain.@ rajasthan.gov.in
19.	AAO -I	Sh.Mukesh kumar Gupta	2450783 (112)	9413488554	0141	lab-aohq-rj@nic.in
20.	Advisor, Welfare Board	Sh. Anil Sharma	2222961	9829222276	0141	bocw.raj@gmail.com bocw@rajasthan.gov.in
21.	Advisor,Occupationa Health and Disease (BOCW)	Dr. P.K. Sisodia	2222961/ 2222161	98189- 84350	0141	bocw.raj@gmail.com bocw@rajasthan.gov.in
22.	AO (BOCW)	Sh.Lakshya Kumar Yadav	2222961/ 2222161	9828688302	0141	bocw.raj@gmail.com bocw@rajasthan.gov.in
23.	Junior Law Officer	Smt. Anita Sharma	2450783 (108)	9799055650	0141	lab-alcliti-rj@nic.in

(Divisional Offices level)						E mail
Division I Jaipur						
1.	Div. JLC, Jaipur	Sh. Dharma Pal Singh, JLC Pragya Sharma, LWO (Against ALC) Sh. Deepak Yadav, DLC II	2220369	94605-48562 9588260843 9267912131	0141	lab-djtlc-jaip-rj@nic.in
	DLC, Alwar	Sh. G.P.Kukreti , Add. LC (Addl. Charge) Sh. Sunil Kumar Yadav, LWO (Addl. Charge)	2334806	9413855249 9549075880	0144	dlc.alwar@rajasthan.gov.in labouralwar@gmail.com
	ALC, Sikar	Sh. Rakesh Choudhary, LI (Addl. Charge)	253043	9166488950	01572	lab-alc-sik-rj@nic.in
	LWO, Dausa	Sh.Balveer Singh Gurjar, DMW Officer (Addl. Charge)	224772	8561004547	01427	labourdausa@gmail.com labourdausa@rajasthan.gov.in
	LWO, Jhunjhunu	Smt. Aruna Sharma, LWO	238140	8949364883	01592	lwo.jhunjhunu.lc@ gmail.com
Division II Jodhpur						
2.	Div. JLC, Jodhpur	Sh. Suresh Chandra Sharma, JLC Sh. Askaran Malviya, LWO (Addl.charge)	2544142	9414352123 8112241890	0291	lab-djlc-jod-rj@nic.in djlcjodhpur@gmail.com
	DLC, Pali	Sh. Askaran Malviya, LWO (Against post)	281197	8112241890	02932	lab.dlc.pali@gmail.com
	LWO, Sirohi	Sh. Dungar Ram, L.I (Addl.charge)	222516	9468817307	02972	labouroff.srh@gmail.com
	ALC, Balotra	Sh. Ramchandra Gadhveer, LI (Addl.charge)	220983	8094956947	02988	bocw.balotra@gmail.com
	LWO, Jalore	Sh.Mangaram, LI (Addl. Charge)	222390	8290737293	02973	labouroffjlr@gmail.com
	LWO, Jaisalmer	Sh. Manoj Kumar Choudhary, LI (Addl.charge)		9414766444	02992	lab-lwo-jai-rj@nic.in

Division III Ajmer						
3.	Div. JLC, Ajmer	Sh. Suresh Chand Sharma JLC Sh.Vishveshwar Dayal,ALC	2429442	8094066799 9460178570	0145	lab-djlc-ajm-rj@nic.in labourajmer@gmail.com
	DLC, Bhilwara	Sh. Sanket Modi, LWO (Addl. charge)	243334	8053115665	01482	lab-dlc-bhi-rj@nic.in
	ALC, Tonk	Sh. Namo Narayan Meena L.I. (Addl. Charge)	247604 245767	9694339384	01432	labourtonk@gmail.com
	ALC, Nagaur	Sh. Moolchand, LI (Addl.charge)	240848	8769252976	01582	alc.nagaur@rajasthan.gov.in bocwnagaur@gmail.com
	LWO, Beawar	Sh. Sunil Kumar Yadav, LWO	258104	9549075880	01462	lwobeawar@gmail.com
Division IV Bikaner						
4.	Div. JLC, Bikaner	Sh.Santosh Prashad Sharma, JLC	2226781	9414796399	0151	lab-djlc-bik-rj@nic.in lab_djlc_bik_rj@yahoo.com
	DLC, Sriganganagar	Sh. Amar Chand, LWO (Addl.charge)	2451063	7742064898	0154	lab-dlc-gan-rj@nic.in
	LWO, Churu	Sh. Rakesh Choudhary (Emp. Offi.) (Addl. Charge)	253043	9166488950	01562	churulwo@gmail.com
	LWO, Hanumangarh	Sh. Amar Chand, LWO	263398	7742064898	01552	lab-lwo-han-rj@nic.in
Division V, Kota						
5.	Div. JLC, Kota	Sh. Pradeep Kumar Jha, JLC	2324176	94143-34024	0744	lab-djlc-kot-rj@nic.in jlckota14@gmail.com
	LWO, Jhalawar	Sh. Shankarlal Balai, LI (Addl. Charge)	232228	9414990295	07432	lwojhalawar@gmail.com
	LWO, Bundi	Sh. Shivcharan Meena, L.WO (Addl. Charge)	2442012	9983472010	0747	lab-lwo-bun-rj@nic.in
	LWO, Baran	Sh. Shankar Lal Balai, LI (Addl. Charge)	237207	9414990295	07453	lbrbaran2014@gmail.com

Division VI Udaipur						
6.	Divi. JLC, Udaipur	Sh. P.P. Sharma, JLC Sh. Surendra Godara, LWO (Against Post)	2413729	9414511108 8440947589	0294	jlc.udaipur.lc@gmail.com djlc-udr-lab-rj@nic.in
	DLC, Chittorgarh	Sh. Shivcharan Meena, (Addl.charge)	240307	9983472010	01472	dlc.chittorgarh.lc@gmail. com
	ALC, Banswara	Sh. Shivdayan Solanki, LWO (Addl. Charge)	243734	9571290324	02962	alc.banswara@rajasthan.gov.in alc.banswara.lc@gmail.com
	LWO, Rajsamand	Sh. Pradeep Kumar, LWO	222522	7357817635	02952	lwo.rajsamand.lc@gmail. com
	LWO, Dungarpur	Sh. Shivdayan Solanki, LWO	230008	9571290324 8209846031	02964	lwo.dungarpur@rajasthan.gov.in
	LWO. Pratapgarh	Sh. Sh. P.P. Sharma, JLC (Addl. Charge)	220157	9414511108	01478	lwo.pratapgarh@rajasthan.gov.in lwo.pratapgarh.lc@ gmail.com
Division VII Bharatpur						
7.	Div. JLC, Bharatpur	Sh. O.P Sahran, JLC Smt. Hasina Bano, LWO	297016	9413060194 7742361212	05644	lab-djlc-bha-rj@nic.in
	LWO, Dholpur	Sh. Ramesh Meena,LI (Addl. Charge)	222313	9782989098	05642	lwodhaulpur@gmail.com
	ALC, Swai Madhopur	Sh. Shivcharan Meena, LWO	220295	9983472010	07462	lab-alc-saw-rj@nic.in labourcortbocwswm@ gmail.com
	LWO, Karauli	Sh. Shyamlal Meena, DMW Officer (Addl. Charge)	250090	9982510153	07464	lab-lwo-kar-rj@nic.in lwokarauli@gmail.com

(Labour Courts, Rajasthan)

1.	Labour Court No. 1 Jaipur	Sh Manoj Kumar Saharia	2200536	-	0141
2.	Labour Court No. 2 Jaipur	Sh. Hari Narayan Saraswat	2207358	3566361	0141
3.	Industrial Tribunal, Jaipur	Smt. Rupa Gupta	2200535	2705030	0141
4.	Labour Court, Kota	Sh.Yogendra Kumar Purohit(Addl. Charge)	2451229	2332139	0744
5.	Labour Court, Jodhpur	Sh. Surendra Kumar II	2545522	2632040	0291
6.	Labour Court, Udaipur	Sh.Arun Kumar Dubey	2411829	-	0294
7.	Labour Court, Ajmer	Sh. Ramakant Sharma	2422845	2629292	0145
8.	Labour Court, Bikaner	Sh. Om Prakash Sharma	2943625	-	0151
9.	Labour Court, Bharatpur	Sh. Girish Agarwal	222382	226888	05644
10.	Labour Court, Bhilwara	Sh. Mukesh Bhargava(Addl. Charge)	227735	257287	01482
11.	Labour Court, Sriganganagar	Sh. Ravinder Kumar-II(Addl. Charge)	2441511	2473522	0154
12.	Labour Court, Alwar	Sh. S.N. Tailor	2736883	2331029	0144

नोटः– विभाग की वेबसाईट **www.labour.rajasthan.gov.in** पर विभाग से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हैं ।

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर 0141-2751417